

अध्याय-II

वाणिज्य—कर

अध्याय-II : वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

यह वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य-कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण व्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य-कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, सात³ अपीलीय प्रमंडलों एवं चार⁴ लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य-कर उपायुक्त/वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य-कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्य-कर से संबंधित 63 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 41 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से हमने ₹ 1,914.91 करोड़ से सन्तुष्टि 1,939 मालों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि तालिका 2.1 में वर्णित है।

¹ वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क आय एवं व्यय पर अन्य कर – पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	“मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर—निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	645.60
2	“वाणिज्य—कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण” पर सूचना प्रौद्यौगिकी लेखापरीक्षा	1	4.28
क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर			
1.	आवर्त का छिपाव	220	171.52
2.	कर का गलत दर लगाया जाना	92	30.67
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	257	87.86
4.	मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर का गलत/अधिक प्रतिपूर्ति	129	59.24
5.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	41	26.03
6.	कर का कम भुगतान तथा ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	186	27.48
7.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	107	5.55
8.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	22	2.52
9.	अन्य मामले	546	154.23
कुल		1,600	565.10
ख : प्रवेश कर			
1.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	30	78.98
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	42	11.10
3.	निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जाना	63	9.18
4.	अन्य मामले	188	295.20
कुल		323	394.46
ग : विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत शुल्क का नहीं/कम आरोपण	4	283.20
2.	अन्य मामले	2	0.21
कुल		6	283.41
घ : मनोरंजन/विलासिता कर			
1.	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	4	3.16
2.	विलासिता कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.08
3.	अन्य मामले	2	18.82
कुल		8	22.06
कुल योग		1,939	1,914.91

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान विभाग ने 170 मामलों में ₹ 221.73 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 190.87 करोड़ से सन्तुष्टि 17 मामले वर्ष 2014–15 के दौरान तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित

किए गए थे। 57 मामलों में ₹ 2.54 करोड़ की वसूली हुई थी, जो वर्ष 2009–10 तथा 2014–15 के बीच इंगित किए गए थे।

प्रारूप कंडिका निर्गत किये जाने के बाद लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विभाग ने सासाराम अंचल के एक मामले में ₹ 16.69 लाख की वसूली की।

₹ 807.87 करोड़ से सन्तुष्टि 'मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 'वाणिज्य-कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण' पर सूचना प्रौद्यौगिकी लेखापरीक्षा एवं दृष्टांतस्वरूप कुछ अन्य लेखापरीक्षा अवलोकन अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.3 “मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

विभाग ने रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स एवं बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया था। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायी अपूर्ण रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।

(कंडिका 2.3.10.1)

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान नमूना—जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिवार्य व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर के दायरे को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर मात्र 275 व्यवसायियों ने ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधन लिया था।

(कंडिका 2.3.10.2)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा की स्थिति काफी कम थी क्योंकि 10 अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 99 प्रतिशत व्यवसायियों के रिटर्न असंवीक्षित पड़े थे जो विभाग में संवीक्षा हेतु आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली की कमी का भी सूचक है।

(कंडिका 2.3.10.3)

दस नमूना—जाँचित अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न जमा नहीं किया था, इसके बावजूद बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के तहत् मात्र कुछ ही मामलों का कर-निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.10.4)

व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ—साथ दूसरे व्यवसायियों के रिटर्न से आवर्त का अनिवार्य तिर्यक जाँच हेतु प्रावधान के अभाव तथा संवीक्षा/कर-निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से 15 अंचलों के 63 व्यवसायियों के मामलों में आवर्त का छिपाव हुआ तथा आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 451.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

वैधानिक संकल्प के बावजूद सरकार द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ साक्ष्य अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत किया जाना विहित नहीं किया गया था तथा साथ ही साथ संवीक्षा/कर-निर्धारण नहीं/त्रुटिपूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति/लाभ लिया गया तथा इसके फलस्वरूप 18 अंचलों के 2,590

नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से 12 अंचलों के 51 व्यवसायियों के मामले में आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 43.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.12.1 एवं 2.3.12.2)

वैट ऑडिट हेतु व्यवसायियों की चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि योग्यता मानदंड को पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन नहीं हो सका था तथा ऑडिट मैनुअल के अभाव के कारण ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही विहित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप वैट ऑडिट का प्रभाव काफी कम था।

(कंडिका 2.3.24.2 से 2.3.24.5)

कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/कर—निर्धारण तथा इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/रिटर्न को अंकित करने तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमित अवधि पर आवधिक अनुश्रवण हेतु पंजी विहित नहीं थी।

(कंडिका 2.3.24.8)

2.3.1 परिचय

मूल्यवर्द्धित कर, एक बहुस्तरीय कर है, जो मूल्यवर्द्धन कड़ी के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है तथा जिसमें पिछले स्तर पर भुगतान किये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का प्रावधान है, जिसे अनुवर्ती बिक्री पर मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से विनियोजित किया जा सकता है। राज्य के राजस्व में मूल्यवर्द्धित कर का प्रमुख अंश है। कर—निर्धारण का प्रत्यक्ष असर कर संग्रह तथा कर प्रशासन की गुणवत्ता पर पड़ता है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् स्व—कर निर्धारण के द्वारा व्यवसायी पर अत्यधिक विश्वास डाला गया है।

एक व्यवसायी (आयातक, कार्य संवेदक या वस्तुओं का उपयोग करने हेतु अधिकार हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति को छोड़कर) जिसका आवर्त किसी भी वर्ष में 5 लाख रुपये हो जाता है, मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत निबंधन हेतु उत्तरदायी हो जाता है। कार्य संवेदक तथा वस्तुओं का उपयोग करने हेतु अधिकार हस्तांतरण करने वाले व्यक्तियों के लिए आवर्त की मात्रा शून्य है, जबकि एक आयातक जब पहली बार आयात की गई वस्तु की बिक्री करता है, तब वह निबंधन लेने हेतु उत्तरदायी हो जाता है। मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधन के पश्चात् एक व्यवसायी (कम्पाउंडिंग कर देने का विकल्प देने वाले व्यवसायी को छोड़कर) को प्रपत्र आर.टी.-I में ट्रैमासिक रिटर्न तथा प्रपत्र आर.टी.-III में वार्षिक रिटर्न के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करना है। एक व्यवसायी जो कम्पाउंडिंग कर का विकल्प देते हैं, उन्हें प्रपत्र आर.टी.-IV में ट्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। एक व्यवसायी (कम्पाउंडिंग कर का विकल्प देने वाले व्यवसायी को छोड़कर) को कर का भुगतान मासिक आधार पर अगले माह के पन्द्रहवें दिन अथवा उससे पहले करना है।

2.3.2 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—निर्धारण की प्रणाली

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर—निर्धारण की मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है:

स्व—कर निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 26(1) उपबंधित करता है कि एक वित्तीय वर्ष से संबंधित प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिन्होंने देय तिथि की समाप्ति के पहले रिटर्न दाखिल कर दिया है, उन्हें कर—निर्धारित माना जायेगा।

रिटर्न की संवीक्षा

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 उपबंधित करता है कि धारा 24 की उपधारा (1) तथा (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा, खण्ड (ए) से (एफ) तक में दिये गये जाँच सूची के अनुसार होगी।

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 उपबंधित करता है कि यदि कोई निबंधित व्यवसायी निर्धारित देय तिथि के पहले वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में असफल रहता है, तब विहित प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवसायी द्वारा देय कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का कर-निर्धारण करेगा।

निबंधन से अपवंचन करने वाले व्यवसायियों का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 उपबंधित करता है कि विहित प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि किसी व्यवसायी ने जानबूझ कर निबंधन के लिए आवेदन नहीं किया है, तब वह अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यवसायी द्वारा देय कर का निर्धारण करेंगे।

छिपाये गये आवर्त के कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2), व्यवसायी द्वारा छिपाये गये आवर्त/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण या पुनर्निर्धारण हेतु उपबंधित करता है।

कर-निर्धारण के समय या उसके पहले पता चलने पर छिपाये गये आवर्त का कर-निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 32(1) उपबंधित करता है कि यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी निबंधित व्यवसायी ने अपने क्रय या विक्रय को छिपाया है अथवा उससे संबंधित गलत ब्यौरा दिया है अथवा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है, तब वे व्यवसायी को देय कर तथा ब्याज की राशि के अतिरिक्त देय कर के तीन गुणा के बराबर अर्थदंड का भुगतान करने का निर्देश देंगे।

लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर कर-निर्धारण


बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 प्रावधित करता है कि इस अधिनियम के तहत् दाखिल किसी रिटर्न का कर-निर्धारण/पुनर्निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आपत्ति की जाती है, वहाँ विहित प्राधिकारी व्यवसायियों के कर का पुनर्निर्धारण हेतु कार्यवाही करेंगे।

विस्तृत लेखापरीक्षा

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 26(3) उपबंधित करता है कि वाणिज्य-कर आयुक्त अपने द्वारा निर्धारित एक चयन मॉडल/प्रक्रिया के अनुसार किसी निबंधित व्यवसायी के व्यवसाय का विस्तृत लेखापरीक्षा (अंकेक्षण) हेतु चुनाव कर सकते हैं। चयनित व्यवसायी का लेखापरीक्षा नियत तिथि से 36 महीने की अवधि के भीतर होगी तथा प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा किये जाने वाले व्यवसायियों की संख्या सामान्यतः कुल निबंधित व्यवसायियों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2.3.3 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में मूल्यवर्द्धित कर का आरोपण एवं संग्रहण, वाणिज्य—कर विभाग को सौंपा गया है। सर्वोच्च स्तर पर इस विभाग के प्रधान, वाणिज्य—कर आयुक्त होते हैं। विभाग का मूलभूत गतिविधि केन्द्र अंचल होता है, जहाँ कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर—निर्धारण / संवीक्षा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिया गया है:



2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि:

- कर—निर्धारण / संवीक्षा की प्रणाली विद्यमान है और जो राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और उसका उचित रूप से अनुपालन हो रहा है;
- व्यवसायियों द्वारा किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में साक्ष्य और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके विहित किये गये हैं तथा उनका उचित रूप से अनुपालन हो रहा है;
- कर—निर्धारण / संवीक्षा की कार्यवाही के पश्चात् निर्धारित कर की वसूली उचित रूप से की जा रही है और उन्हें सरकारी खाते में जमा किया गया है एवं कर—वापसी उचित रूप से की जाती है;
- विभाग में कर—निर्धारण / संवीक्षा और कर की वसूली से संबंधित प्रभावी तथा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र विद्यमान है; और
- अपीलीय न्यायालयों / अन्य न्यायालयों / लेखापरीक्षा (आंतरिक और बाह्य) के मामलों का उचित रूप से अनुसरण किया जाता है और अनुपालन कर—निर्धारण / पुनर्निर्धारण विहित तरीके से हो रहा है।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से ली गयी है:

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- उपरोक्त के अन्तर्गत बनाये गये नियमावली, समय-समय पर जारी कार्यकारी तथा विभागीय आदेश तथा निदेश; एवं
- कार्यपालिका नियमावली, 1979।

2.3.6 क्षेत्र एवं कार्य-पद्धति

वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी से जुलाई 2015 के बीच संपन्न किया गया। वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार का कार्यालय और राज्य के 49 में से 18 अंचलों⁵ के अभिलेखों की जाँच की गई एवं प्रासंगिक सूचनाएँ प्राप्त की गई। अंचलों का चयन करते समय प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि के द्वारा रैण्डम प्रतिचयन पद्धति से 17 अंचलों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल (जो उपरोक्त तरीके से चयनित नहीं हुआ), जो तिरहुत प्रमंडल का सबसे अधिक निर्बंधित व्यवसायियों एवं सबसे अधिक राजस्व उद्ग्रहण करने वाला अंचल था, का भी चयन किया गया, ताकि नमूना आकार में प्रत्येक प्रमंडल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा कार्य-पद्धति में दिशानिर्देश तैयार करना, लेखापरीक्षा परिणाम एवं निष्कर्ष हेतु लेखापरीक्षित इकाइयों में जाकर अभिलेखों की जाँच, जिसमें आवधिक रिटर्न की नमूना-जाँच, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-I, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-IV, प्रपत्र 'सी', 'एफ' में घोषणा का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, रोड परमिट/सुविधा, क्रय/विक्रय विवरणी, बैलेंस सीट/लाभ एवं हानि खाता इत्यादि शामिल है तथा व्यवसायी द्वारा अपने टैक्स आडिट रिपोर्ट/रिटर्न में दर्शायी गई विक्रय/क्रय के साथ दूसरे व्यवसायियों द्वारा दर्शायी गई क्रय/विक्रय के आँकड़ों के साथ तिर्यक जाँच के साथ-साथ विभाग से आँकड़े इकट्ठा करना, लेखापरीक्षा ज्ञापन निर्गत करना, प्रश्नावली और उसका जवाब लेखापरीक्षित इकाइयों से प्राप्त करना शामिल है।

2.3.7 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध करने में वाणिज्य-कर विभाग के सहयोग हेतु आभारी है। 13 मार्च 2015 को प्रधान सचिव-सह-वाणिज्य-कर आयुक्त के साथ एक आरंभिक सम्मेलन (इंट्री कन्फ्रेंस) की गई जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति की चर्चा की गई और 18 सितम्बर 2015 को प्रधान सचिव-सह-वाणिज्य कर आयुक्त के साथ एक अंतिम सम्मेलन (एकिजट कन्फ्रेंस) आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा अवलोकन, निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। उनके उत्तर संबंधित कंडिकाओं में समुचित रूप से शामिल किये गये हैं।

⁵ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

2.3.8 राजस्व की प्रवृत्ति

2.3.8.1 बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता

जून 2015 में हमलोगों ने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान बजट अनुमान तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे में मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर था जो (-) 32.86 प्रतिशत से (+) 14.88 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका—2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) / कमी(-)	भिन्नता की प्रतिशतता	बिहार की कुल कर प्राप्तियाँ	मूल्यवर्द्धित कर प्राप्ति बनाम कुल कर प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
2010–11	5,627.69	4,557.18	(-) 1,070.51	(-) 19.02	9,869.85	46.17
2011–12	6,508.00	7,476.36	(+) 968.36	(+) 14.88	12,612.10	59.27
2012–13	8,071.00	8,670.79	(+) 599.79	(+) 7.43	16,253.08	53.34
2013–14	12,324.04	8,453.02	(-) 3,871.02	(-) 31.41	19,960.68	42.34
2014–15	12,820.15	8,607.16	(-) 4,212.99	(-) 32.86	20,750.23	41.47

(झोत—राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत): वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में काफी तेजी से बढ़कर ₹ 4,557.18 करोड़ से ₹ 8,670.79 करोड़ हो गई, लेकिन वर्ष 2013–15 की अवधि में इसमें गिरावट हुई। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 (₹ 12,324.04 करोड़) और वर्ष 2014–15 (₹ 12,820.15 करोड़) में बजट अनुमान पिछले वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में काफी अधिक था। यह इंगित करता है कि वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 का बजट अनुमान तैयार करते समय विभाग द्वारा बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के प्रावधान के अनुसार पिछले वर्षों की मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा एकिजट कन्फ्रेंस में कहा कि बजट अनुमान तैयार करते समय बिहार बजट प्रक्रिया के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.3.8.2 मूल्यवर्द्धित कर के विभागीय राजस्व आंकड़ों का मिलान वित्त लेखे के आंकड़ों से नहीं किया जाना

जून 2015 में हमलोगों ने पाया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यवर्द्धित कर के राजस्व आंकड़ों और वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों में काफी अंतर था जैसा कि तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ	वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा दिये गये प्राप्तियाँ के बीच भिन्नता
2010-11	5,627.69	4,557.18	4,532.19	(-) 24.99
2011-12	6,508.00	7,476.36	5,667.92	(-) 1,808.44
2012-13	8,071.00	8,670.79	7,390.66	(-) 1,280.13
2013-14	12,324.04	8,453.02	8,546.43	(+) 93.41
2014-15	12,820.15	8,607.16	8,779.51	(+) 172.34

(झोत—राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत): वित्त लेखे, बिहार सरकार तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

जैसा कि तालिका में इंगित किया गया है वित्त लेखे में दर्शायी गई वास्तविक प्राप्तियों तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में (-) ₹ 1,808.44 करोड़ से लेकर (+) ₹ 172.34 करोड़ के बीच भिन्नता थी। यह इंगित करता है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 37 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्तियों के ऑकड़ों का विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के ऑकड़ों से मिलान नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकिजट कन्फ्रेन्स के दौरान कहा कि इसका मिलान कर लिया जाएगा।

2.3.9 राजस्व के बकाये

वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान राजस्व के बकाये ₹ 585.44 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,238.26 करोड़ हो गये थे। इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान बकाये के लम्बन में वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक थी।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान 18 चयनित अंचलों में से 10 अंचलों⁶ में राजस्व के बकाये से संबंधित स्थिति नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4

वर्ष	प्रारंभ शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए राजस्व के बकाये		वसूल की गई राशि		अंत शेष		(₹ करोड़ में)
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
2010–11	3,354	595.26	3,152	78.41	2,629	109.48	3,877	564.19	
2011–12	4,039 ⁷	585.44	1,997	508.91	3,040	248.29	2,996	846.06	
2012–13	2,996	846.06	3,041	536.67	3,284	856.43	2,753	526.30	
2013–14	2,753	526.30	4,753	1,476.48	5,110	398.42	2,396	1,604.36	
2014–15	2,396	1,604.36	4,838	1,016.39	4,625	1,382.49	2,609	1,238.26	

(नोट: अंचलों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना)

उपरोक्त ऑकड़ों के विश्लेषण से हमने पाया कि 10 चयनित अंचलों में वर्ष 2011–12 के प्रारंभ में राजस्व का बकाया ₹ 585.44 करोड़ था जो वर्ष 2014–15 के अंत तक बढ़कर ₹ 1,238.26 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 के दौरान लंबित बकाये में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राजस्व के बकाये में बढ़ने की तीव्रता वसूली से ज्यादा है। यह विभाग में नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी एवं अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

हमलोगों ने पुनः पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान के तहत विभाग के अधिकारियों को निलामपत्रवाद अधिकारी की शक्ति प्रदत्त होने के बावजूद वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 14.09 करोड़ से सन्त्रिहित केवल 28 निलामपत्रवाद ही दायर किया जा सका।

⁶ बाढ़, बेगुसराय, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिठी पश्चिमी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

⁷ वर्ष 2011–12 का आरंभिक शेष वर्ष 2010–11 के अंतिम शेष से अधिक है क्योंकि बेगुसराय अंचल द्वारा मात्र वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के ऑकड़ मुहैया कराया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकिजट कन्फ्रेन्स के दौरान कहा कि अंचलों से उत्तर प्राप्त होने के बाद भेज दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा परिणाम

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 1 अप्रैल 2005 के प्रभाव से आया। लेखापरीक्षा ने कर-निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा की तथा काफी संख्या में त्रुटियाँ पायी, जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.3.10 संवीक्षा / कर-निर्धारण में त्रुटियाँ

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 एवं धारा 26 तथा उसके तहत बने नियमावली के तहत क्रमशः संवीक्षा एवं कर का स्व-कर निर्धारण का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने संवीक्षा, स्व-कर निर्धारण/कर-निर्धारण हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ तथा कमियाँ पाया।

2.3.10.1 स्व-कर निर्धारण हेतु अधूरे रिटर्न की स्वीकृति

रिटर्न को अपलोड करते समय सभी फील्ड्स तथा बॉक्स को भरा जाना अनिवार्य नहीं बनाया गया था। इसके फलस्वरूप व्यवसायी अधूरे रिटर्न भरते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।

हमलोगों ने मार्च से जून 2015 की अवधि में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायियों के रिटर्न की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि रिटर्न बिना पूरी सूचना/आँकड़े/बॉक्स भरे अपलोड किये जा रहे थे, यद्यपि मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(1ए) यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक निबंधित व्यवसायी एक सही एवं पूर्ण रिटर्न दाखिल करेंगे। पुनः धारा 26 उपबंधित करता है कि प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिन्होंने धारा 24 में वर्णित रिटर्न नियत तिथि की समाप्ति के पहले दाखिल कर दिये हैं, उससे संबंधित किसी वित्तीय वर्ष के देय कर को निर्धारित कर माना जायेगा। अतः व्यवसायियों के लिए स्व-कर निर्धारित होने के लिए पूरी तरह से संपूर्ण रिटर्न अपलोड करना आवश्यक है। लेकिन उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रिटर्न स्वीकृत एवं स्व-कर निर्धारित माने जा रहे हैं, जो इंगित करता है कि विभाग ने रिटर्न को ई-फाइलिंग करते समय सभी फील्ड्स अनिवार्य नहीं किये थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद सितम्बर 2015 में एकिजट कन्फ्रेंस में विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से आर.टी.-III में आरंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक भरना तथा बॉक्स 'बी' तथा बॉक्स 'सी' में सूचना अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है तथा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय बाक्स 'जी' भरना आवश्यक होगा।

विभाग का जवाब यह स्पष्ट नहीं करता है कि रिटर्न के सभी फील्ड्स एवं अन्य बॉक्स, जैसे, बॉक्स 'ए', बॉक्स 'डी', बॉक्स 'ई', बॉक्स 'एफ' तथा बॉक्स 'एच' में सूचना अपलोड करना अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। रिटर्न के सभी फील्ड्स/बॉक्स में सूचनाओं के अभाव में इन मामलों में स्व-कर निर्धारण से राजस्व का रिसाव हो सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार/विभाग सभी फील्ड्स तथा बॉक्स भरे जाने को अनिवार्य किये जाने पर विचार कर सकती है तथा केवल स्वतः पूर्ण, सही एवं सम्पूर्ण रिटर्न ही स्वीकार किया जाए तथा स्व-कर निर्धारित माना जाए।

2.3.10.2 अनिबंधित व्यवसायियों का सर्वे एवं उनका कर-निर्धारण

मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान हेतु वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान सर्वे किया जा सका तथा कर-निर्धारण प्राधिकारी अनिबंधन के 181 मामलों में कर-निर्धारण तथा अर्थदण्ड का आरोपण करने में विफल रहे।

वर्ष 2010–11 और 2014–15 की अवधि के दौरान नमूना-जाँचित 18 अंचलों में सर्वे और व्यवसायियों के निबंधन तथा कर-निर्धारण की स्थिति तालिका-2.5 में निम्नवत् है:

तालिका 2.5

वर्ष	किये गये सर्वे की कुल संख्या	निबंधन योग्य पाये गये व्यवसायियों की संख्या	सर्वे के पश्चात निबंधित व्यवसायियों की संख्या	धारा 28 के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ किये गये मामलों की संख्या
2010–11	289	158	66	85
2011–12	99	78	42	0
2012–13	61	128	32	0
2013–14	94	73	40	14
2014–15	336	309	95	191
कुल	879	746	275	290

(झोतः अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त वर्णित तालिका इंगित करता है कि कर के दायरे को बढ़ाने हेतु वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से तीन से पाँच अंचलों में केवल 879 सर्वे संचालित किये गये थे और 13 से 15 अंचलों में कोई भी सर्वे संचालित नहीं किया गया था, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 58 अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने हेतु सर्वे करने के लिए उपबंधित करता है। पुनः 879 संचालित सर्वे में 746 व्यवसायी निबंधन हेतु योग्य पाये गये लेकिन मात्र 275 व्यवसायियों ने निबंधन लिया और बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मात्र 290 व्यवसायियों का कर-निर्धारण किया गया। अतः कर-निर्धारण प्राधिकारी शेष 181 मामलों में करों एवं अर्थदण्ड का निर्धारण एवं आरोपण नहीं किये।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अबतक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.10.3 संवीक्षा की कम संख्या

नमूना-जाँचित अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न असंवीक्षित रह गये।

अठारह चयनित अंचलों में से 10 अंचलों⁸ में निबंधित व्यवसायियों, रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत की गई संवीक्षा की संख्या की स्थिति निम्न तालिका-2.6 में दी गई है:

⁸ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, पटना सिटी पश्चिम और पटना विशेष।

तालिका 2.6

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों की संख्या	धारा 25 के अंतर्गत संवीक्षा किये गये व्यवसायियों की संख्या	संवीक्षित व्यवसायियों की प्रतिशतता	संवीक्षा में कमी (प्रतिशत में)
2010–11	38,996	22,612	248	1.09	98.91
2011–12	47,699	29,294	271	0.92	99.08
2012–13	51,895	32,023	228	0.71	99.29
2013–14	57,216	33,909	134	0.39	99.61

(स्रोत: अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न असंवीक्षित रह गये, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, कर–निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा संबंधित वर्ष के अनुसरित वर्ष की समाप्ति के पहले तक करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, कर–निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की संवीक्षा करने की अपनी मूल तथा प्राथमिक कर्तव्य पूरा करने में असफल रहे। वृहत् संख्या में रिटर्नों की संवीक्षा का लंबित होना भी विभाग में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी का सूचक है, जो इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि संवीक्षा से संबंधित कोई प्रतिवेदन/विवरणी विहित नहीं है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार/विभाग रिपोर्ट/रिटर्न विहित करने पर विचार कर सकती हैं ताकि उच्च प्राधिकारियों द्वारा मामलों की संवीक्षा/कर–निर्धारण का अनुश्रवण प्रभावी तरीके से किया जा सके।

2.3.10.4 रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों का कर–निर्धारण

10 नमूना–जाँचित अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था तथा वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान मात्र 0.01 से 0.09 प्रतिशत मामलों में ही धारा 27 के तहत कर–निर्धारण किया गया था।

हमने नमूना–जाँचित 18 अंचलों में से 10 अंचलों⁹ में पाया कि वर्ष 2010–11 और 2013–14 के बीच 38.29 से 42.01 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया जो तालिका–2.7 में वर्णित है:

तालिका 2.7

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	व्यवसायियों की संख्या जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों की प्रतिशतता	धारा 27 के अंतर्गत कर–निर्धारित व्यवसायियों की संख्या	धारा 27 के अंतर्गत कर–निर्धारित व्यवसायियों की प्रतिशतता
2010–11	38,996	16,384	42.01	14	0.09
2011–12	47,699	18,405	38.58	05	0.02
2012–13	51,895	19,872	38.29	05	0.02
2013–14	57,216	23,307	40.74	03	0.01

(स्रोत: चयनित अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

⁹ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, पटना सिटी पश्चिमी और पटना विशेष।

इतनी बड़ी संख्या में निर्बंधित व्यवसायियों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया जाना विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं अनुश्रवण में कमी को दर्शाता था। कर-निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच मात्र 0.01 से 0.09 प्रतिशत मामलों का ही कर-निर्धारण कर सके और शेष मामले छोड़ दिये गये, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत उनसे ऐसे सभी मामलों में कर-निर्धारण करना अपेक्षित था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11 आवर्त का छिपाव

हमने पाया कि संवीक्षा के चेकलिस्ट में रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों, जैसे रोड परमिट/सुविधा की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों के साथ-साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त विक्रय एवं क्रय की सूचनाओं के साथ जाँच करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। हमने पुनः पाया कि किसी व्यवसायी के क्रय एवं बिक्री आंकड़ों का दूसरे व्यवसायी द्वारा रिटर्न में दर्शाये गये बिक्री एवं क्रय आंकड़ों के साथ तिर्यक जाँच किये जाने हेतु कोई प्रणाली विहित नहीं थी। इसके फलस्वरूप कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

2.3.11.1 व्यवसायियों के अभिलेखों से अभिज्ञान में आये आवर्त का छिपाव

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं/कम किये जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 39.23 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 13 अंचलों¹⁰ में 33 व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 644.51 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी (डी-IX¹¹), घोषणा प्रपत्र 'सी'¹² की विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट¹³ एवं सुविधा विवरणी में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने वार्षिक रिटर्न में मात्र ₹ 538.80 करोड़ ही लेखापित किए, इस प्रकार ₹ 105.71 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। व्यवसायी के रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों से जाँच करने का प्रावधान के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, यहाँ तक की एक मामले में, जो कि उनके द्वारा कर-निर्धारित/संवीक्षित था एवं संवीक्षा की निर्धारित समय-सीमा के बात जाने के बाद भी शेष मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत आरोप्य ₹ 26.85 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 3.43 करोड़ के ब्याज

¹⁰ बाढ़, भागलपुर, दरभंगा, गया, फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹¹ डी०-IX – राज्य के बाहर से ₹ 10,000 अथवा अधिक के मूल्य के वस्तुओं के आयात/क्रय हेतु उपयोग में लाए गए रोड परमिट घोषणा। यह वस्तुओं के परिवहन के साथ रहता है।

¹² प्रपत्र सी – अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

¹³ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट – प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सहित ₹ 39.23 करोड़ के कर का अवनिधारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों के संबंध में ₹ 6.49 करोड़ का माँग पत्र सृजित किया गया है, जबकि दरभंगा अंचल के एक व्यवसायी के संबंध में कर—निर्धारण प्राधिकारी ने इस याचना के साथ लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार किया कि 31 मार्च 2011 को ₹ 70.90 लाख के माल का निर्गमन किया गया था जो कि अगले वित्तीय वर्ष में लेखापित हुआ, यद्यपि वर्ष 2011–12 में व्यवसायी ने न ही स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति ही स्वीकार किया न ही किसी कर की राशि का भुगतान किया था। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.2 क्रय एवं विक्रय आँकड़ों की तिर्यक जाँच के दौरान अभिज्ञान में आये आवर्त का छिपाव

व्यवसायी के क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण आवर्त का छिपाव हुआ, परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 411.04 करोड़ के कर का अवनिधारण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना—जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर—निर्धारित एवं 2,215 स्व—कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 11 अंचलों¹⁴ में 26 व्यवसायियों ने क्रय/विक्रय की वास्तविक राशि ₹ 4,066.64 करोड़ के बदले ₹ 432.46 करोड़ का क्रय/विक्रय ही लेखापित किया था एवं इस प्रकार ₹ 3,634.18 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव किया। व्यवसायी द्वारा रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये विक्रय/क्रय की सूचनाओं का क्रेता/विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये क्रय/विक्रय की सूचनाओं की तिर्यक जाँच से यह प्रकटित हुआ। ऐसी तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 411.04 करोड़ के कर का अवनिधारण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-III में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के चार व्यवसायियों के संबंध में ₹ 28.39 करोड़ का माँग पत्र सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.3 अन्तर्राज्यीय क्रय के आँकड़ों की जाँच नहीं किया जाना

वाणिज्य—कर आयुक्त द्वारा अंचलों को दिए गए अन्तर्राज्यीय क्रय के आँकड़ों की जाँच नहीं किए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने 18 नमूना—जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर—निर्धारित एवं 2,215 स्व—कर निर्धारित मामलों की जनवरी एवं जून 2015 के बीच जाँच में पाया कि चार अंचलों¹⁵ के चार व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 11.39 करोड़ के वस्तुओं का क्रय दर्शाया था। इन आँकड़ों को जाँचने हेतु निर्देश के साथ वाणिज्य—कर आयुक्त द्वारा अंचलों को परिचारित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय क्रय के

¹⁴ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹⁵ दरभंगा, गया, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

आँकड़ों की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि इन व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 17.84 करोड़ के वस्तुओं का क्रय किया था। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 6.45 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव किया, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय की जाँच नहीं किए जाने के कारण नहीं लगा। इसके फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड तथा ₹ 14.21 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12 इनपुट टैक्स क्रेडिट

हमने मई 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1) की उपधारा (एफ) को बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 के द्वारा 27 मई 2011 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया था। उपरोक्त उपधारा के विलोपन के बाद व्यवसायियों द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के सही एवं उचित दावे को सुनिश्चित करने हेतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य जाँच समाप्त हो गया था। उपरोक्त उपधारा (एफ), 1 अप्रैल 2012 के प्रभाव से पुनः शामिल कर लिया गया था तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 (ए), वर्ष 2012 के अधिनियम 14 के द्वारा सम्मिलित किया गया था लेकिन सरकार ने वैधानिक संकल्प के बावजूद भी कोई प्रक्रिया अथवा रिटर्न में दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य अथवा सूचनाएँ अब तक विहित नहीं की है। इस प्रकार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता/अनुमान्यता को जाँचने हेतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों के पास धारा 25(1) के तहत कोई अनिवार्य जाँच विहित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ लिया गया/अनुमति दिया गया, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

2.3.12.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत लाभ लिया जाना

आठ अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा ₹ 1.60 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका। इसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.87 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों¹⁶ में 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 19.18 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार ₹ 1.60 करोड़ का दावा उपभोज्य वस्तुओं, व्यापारियों के मामले में पूँजीगत सामग्री, बिना दर्शाये हुये पिछले वर्ष से आगे लाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनुसूची-IV की वस्तुओं के विनिर्माण में खपत की गई इनपुट इत्यादि के कारण अनुमान्य नहीं थे। इस प्रकार व्यवसायी सिर्फ ₹ 17.59 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता/अनुमान्यता को जाँचने हेतु अनिवार्य जाँच के अभाव के कारण व्यवसायियों ने ₹ 1.60 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया/लाभ उठाया, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारी नहीं लगा सके। इस अधिक दावे के लिए मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत ₹ 4.80 करोड़ का आरोप्य अर्थदण्ड

¹⁶ बेगुसराय, दरभंगा, गया, मधुबनी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

तथा ₹ 46.85 लाख का ब्याज संगणित किया गया है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 6.87 करोड़ का था, जैसा कि परिशिष्ट-V में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (दरभंगा एवं पटना विशेष) के तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 57.33 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12.2 क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच के दौरान अभिज्ञान में आये गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के क्रय एवं विक्रय के आँकड़ों की राशि की तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36.63 करोड़ के गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच 18 नमूना-जाँचित अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 12 अंचलों¹⁷ में 39 व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 153.18 करोड़ के माल का अधिक क्रय दर्शाया और उस पर ₹ 8.47 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, जबकि विक्रय करने वाले व्यवसायियों ने या तो कोई रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दखिल नहीं किया था या उन व्यवसायी को ऐसा विक्रय नहीं दिखलाया था। यह विक्रय/क्रय करने वाले व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के तिर्यक जाँच से पता चला था। ऐसे तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36.63 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसाकि परिशिष्ट-VI में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के पाँच व्यवसायियों के मामले में ₹ 7.14 करोड़ की माँग सृजित की गयी है। स्वीकृत मामलों में वसूली और शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.12.3 नियम 10 ए के अन्तर्गत समायोजन के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

छ: अंचलों में निर्बंधित 10 व्यवसायियों द्वारा नियम 10ए के प्रावधान के अनुसार पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये कर के समायोजन के बदले ₹ 40.93 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित समायोजन का दावा किया गया था, जिसे कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी से जून 2015 के बीच 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि छ: अंचलों¹⁸ के 10 व्यवसायियों ने तम्बाकू उत्पाद, जो दिनांक 26 जून 2012 के प्रभाव से अधिसूचित, अनुसूची-IV की वस्तु है तथा जिस पर प्रत्येक बिन्दु की बिक्री पर कर देय है, के क्रय पर ₹ 40.93 करोड़ के समायोजन का लाभ/दावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया था। यह कर का अनियमित सामंजन था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के

¹⁷ बाढ़, बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, मधुबनी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

¹⁸ बेगुसराय, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

नियम 10(ए) के तहत इन वस्तुओं के क्रय पर अनुमान्य नहीं था, जो यह उपबंधित करता है कि ऐसे अनुसूची-IV वस्तुओं पर पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये कर का समायोजन उपरोक्त अधिनियम के तहत विहित फॉर्मूला के अनुसार किया जाएगा। दस में से दो मामलों में ₹ 1.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 6.86 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कर का अधिक समायोजन का पता लगा था। अन्य आठ मामलों में वार्षिक रिटर्न में पर्याप्त सूचनाओं की अनुपलब्धता के कारण वास्तविक कर के अधिक समायोजन की संगणना नहीं की जा सकी थी जैसाकि परिशिष्ट-VII में वर्णित हैं।

- हमने बाढ़ अंचल में पाया (जून 2015) कि एक भारत निर्मित विदेशी शराब के व्यवसायी ने वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान नियम 10(ए) के अनुसार अपने कर दायित्व की गणना करते समय पूर्ववर्ती क्रम पर भुगतान किये गये ₹ 45.84 लाख के कर का समायोजन का लाभ अनियमित रूप से लिया था। नियम 10(ए) के तहत अनुसूची-IV के वस्तुओं के विनिर्माता को कर का सामंजन अनुमान्य नहीं था। अतः व्यवसायी ₹ 45.84 लाख के कर के अलावे ₹ 12.44 लाख के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अब तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.13 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम/नहीं किया जाना

रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम/नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 16.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों¹⁹ में आठ व्यवसायियों ने अन्तर्राज्यीय एवं राज्यान्तर्गत वस्तुओं का भंडार अंतरण/क्रय वापसी/अनुसूची-I वस्तुओं का विक्रय किया, जैसाकि उनके द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया था। इन वस्तुओं के इनपुट का क्रय राज्य के अन्दर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया गया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 55.37 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 15 और 16 के तहत रिवर्स क्रेडिट की गणना करना चाहिए था, किन्तु व्यवसायी द्वारा लाभ उठाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया गया था, क्योंकि व्यवसायी द्वारा ₹ 3.69 करोड़ के रिवर्स क्रेडिट की गणना या तो नहीं की गई थी अथवा कम संगणित की गई थी, जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत ₹ 11.07 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 1.59 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 16.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई, जैसाकि परिशिष्ट-VIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले को स्वीकार किया तथा रिवर्स क्रेडिट की राशि को वसूलने का निर्देश दिया। हम स्वीकृत मामले में वसूली और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

¹⁹ बेगुसराय, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

2.3.14 कार्य संवेदकों द्वारा कटौतियों का गलत लाभ लिया जाना/अनुमति दिया जाना

कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 165.98 करोड़ की कटौतियों के गलत दावों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1) का अनुच्छेद (ई) उपबंधित करता है कि कर—निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि कटौतियों के सभी दावे अधिनियम के तहत विहित तरीके तथा प्रपत्र से समर्थित हैं। लेकिन कार्य संवेदकों के मामले में मजदूरी एवं अन्य प्रभारों के मद में की गई कटौती हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम अथवा नियमावली के तहत कोई प्रपत्र अथवा तरीका विहित नहीं किया गया था। अतः संवीक्षा करते समय इन मदों पर दावा किये गये कटौती के सत्यापन हेतु अनिवार्य जाँच का अभाव था। इसके फलस्वरूप अधिक कटौतियों का लाभ लिया गया तथा इसके उपरांत कर एवं ब्याज का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि नीचे वर्णित है:

हमलोगों ने नमूना—जाँचित 18 अंचलों में जनवरी एवं जून 2015 के बीच 375 संविक्षित/कर—निर्धारित एवं 2,215 स्व—कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 10 अंचलों²⁰ में 24 कार्य संवेदकों ने वर्ष 2010—11 से 2013—14 के दौरान ₹ 795.95 करोड़ के अनुमान्य कटौती के विरुद्ध ₹ 961.94 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था। इन कार्य संवेदकों द्वारा दाखिल रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लाभ एवं हानि खाता तथा अन्य संबंधित कागजातों से हमने पाया कि उन्होंने ₹ 165.98 करोड़ की कटौती का लाभ उन मदों, जैसे सामग्री से संबंधित सकल लाभ तथा स्थापना व्यय, कल—पुर्जे तथा प्लाट एवं मशीनरी के रखरखाव, कमीशन इत्यादि पर लिया था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमान्य नहीं थे। कर—निर्धारण प्राधिकारी, हालाँकि अमान्य कटौतियों के दावे का पता लगाने में उन मामलों में भी विफल रहे, जो उनके द्वारा संवीक्षित या कर—निर्धारित थे, इसके फलस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जैसाकि परिशिष्ट—IX में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि छ: अंचलों (भागलपुर, फारबिसगंज, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी एवं पटना विशेष) में नौ व्यवसायियों के संबंध में ₹ 1.75 करोड़ की माँग सूजित की गयी है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.15 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 7.41 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना—जाँचित 18 अंचलों में 375 संविक्षित/कर—निर्धारित एवं 2,215 स्व—कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 14

²⁰ भागलपुर, फारबिसगंज, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

अंचलों²¹ में 29 व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 96.58 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाँच से 30 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से 20 प्रतिशत की कम दर पर अपने कर का निर्धारण किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का गलत दर लगाये जाने का पता नहीं लगाया जा सका यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1)(सी) के अनुसार उन्हें करों की दर सही रूप से लगाये जाने को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक रिटर्न की जाँच करना अपेक्षित था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.41 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-X में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि पाँच अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पटना दक्षिणी) के 10 व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.86 करोड़ के माँग का सृजन किया गया एवं ₹ 2.68 लाख की वसूली की गई। कर-निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल ने लेखापरीक्षा के दावे का खंडन किया और कहा कि अधिसूचना संख्या 289 दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार इसबगोल 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था। कर-निर्धारण प्राधिकारी का जबाब तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि विभाग ने फरवरी 2014 में शुद्धिपत्र निर्गत किया था, जिसके द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपरोक्त अधिसूचना से 'and including Isabgul' हटा दिया गया था और कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा शुद्धिपत्र के निर्गत की तिथि के बाद आदेश पारित किया गया था। हम स्वीकृत मामले के वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.16 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

छ: अंचलों के आठ व्यवसायियों के मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 13.16 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया था।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों के 375 संविक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान छ: अंचलों²² में आठ व्यवसायियों ने राज्य के अंदर के अनिवंधित व्यवसायियों से ₹ 259.56 करोड़ की कर योग्य वस्तुओं की खरीद की, जैसाकि उनके रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट/खरीद विवरणियों में दर्शाया गया था और वस्तुओं के विनिर्माण में उनकी खपत की। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के तहत यह क्रय कर आकर्षित करता था। लेकिन व्यवसायियों ने क्रय कर को अपने रिटर्न में स्वीकृत नहीं किया था जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं लगा, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 13.16 करोड़ के क्रय कर का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XI में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.17 कर का कम आरोपण

चार अंचलों के पाँच व्यवसायियों के मामले में ब्याज सहित ₹ 3.34 करोड़ के कर का कम आरोपण का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों के 375 संविक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष

²¹ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

²² दरभंगा, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना मध्य एवं पटना सिटी पूर्वी।

2011–12 एवं 2012–13 की अवधि के दौरान चार अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य एवं पटना सिटी पश्चिमी) के पाँच व्यवसायियों ने अपने दाखिल रिटर्न में सही कर दायित्व ₹ 7.25 करोड़ के बदले अपना कर दायित्व ₹ 4.68 करोड़ संगणित किया था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने अपना कर दायित्व ₹ 2.57 करोड़ कम स्वीकृत किया। इसका पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.26 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.34 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट–XII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पटना सिटी पश्चिमी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 4.18 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.18 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

पाटलीपुत्र अंचल में कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर–निर्धारण करते समय ₹ 19.26 करोड़ के अतिरिक्त कर का कम आरोपण किया गया था।

हमने फरवरी 2015 में पाटलीपुत्र अंचल में पाया कि कर–निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2013 में कर–निर्धारण करते समय वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 648.55 करोड़ के खाद्यान्न की सही बिक्री राशि के बदले मात्र ₹ 6.49 करोड़ की कर राशि पर गलत रूप से अतिरिक्त कर तीन प्रतिशत की दर से ₹ 19.46 लाख आरोपित किया। यह बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3 ए ए के प्रावधानों के विपरीत है जो यह प्रावधित करता है कि राज्य के अन्तर्गत प्रथम बिन्दु पर किये गये समस्त बिक्री पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय होगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.26 करोड़ का अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ, जिसपर व्यवसायी ₹ 9.82 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.19 अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के छ: व्यवसायियों द्वारा अपने रिटर्न में ₹ 29.10 लाख का अधिभार स्वीकृत नहीं किया गया था, जिसका कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमलोगों ने जनवरी और जून 2015 के बीच नमूना–जाँचित 18 अंचलों में 375 संविक्षित/कर–निर्धारित एवं 2,215 स्व–कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान तीन अंचलों (बेगुसराय, हाजीपुर एवं पूर्णियाँ) के छ: व्यवसायियों ने ₹ 9.55 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पाद एवं पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री की, जिसपर ₹ 2.05 करोड़ का कर स्वीकृत किया गया था। लेकिन बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3 ए के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित अधिभार उनके द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान नहीं किया था, जबकि तंबाकू उत्पाद एवं पेट्रोलियम उत्पाद के बिक्री पर क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिभार आरोप्य था। कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसे पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 लाख के ब्याज सहित ₹ 29.10 लाख के अधिभार का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि परिशिष्ट–XIII में वर्णित है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हमें अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20 मूल्यवर्द्धित कर दायित्व का भुगतान/समायोजन एवं उस पर ब्याज

2.3.20.1 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरुद्ध प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगाये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 40.14 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों ने नमूना-जाँचित 18 अंचलों में जनवरी और जून 2015 के बीच 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान नौ अंचलों²³ में 36 व्यवसायियों ने मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरुद्ध ₹ 194.20 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन का लाभ लिया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लेने हेतु विहित मानदण्ड²⁴ के अनुसार व्यवसायी केवल ₹ 164.22 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के हकदार थे, जैसाकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) के तहत उपबंधित है। कर-निर्धारण प्राधिकारी इसका पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.98 करोड़ के प्रवेश कर का मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध गलत समायोजन लिया गया तथा व्यवसायी ₹ 10.16 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 40.14 करोड़ के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे, जैसा कि परिशिष्ट-XIV में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के छ: व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.95 करोड़ का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.2 स्वीकृत कर का कम भुगतान

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ब्याज सहित ₹ 14.87 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि 15 अंचलों²⁵ में 48 व्यवसायियों ने ₹ 296.39 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 285.10 करोड़ के कर का भुगतान किया था। इस प्रकार व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 11.29 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया। हालाँकि

²³ भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

²⁴ (i) आयात किए गए वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया गया था,

(ii) मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से कम था,

(iii) आयातित अनुसूचित वस्तुएँ उपभोग में नहीं लाये गये थे अथवा वस्तुओं के विनिर्माण में खपत नहीं किये गये।

²⁵ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

कर—निर्धारण प्राधिकारियों को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान के साक्ष्य को देखने हेतु रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा तदनुसार व्यवसायी को नोटिस निर्गत करना था, लेकिन कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा रिटर्न की संवीक्षा में विफलता के कारण ₹ 11.29 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान, यहाँ तक कि एक कर—निर्धारित मामले में भी, का पता नहीं लगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.58 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 14.87 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चल पाया, जैसा कि परिशिष्ट—XV में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) के तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 81.96 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.3 विलंब से कर के भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ अंचलों में 26 व्यवसायियों के मामले में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान मूल्यवर्द्धित कर विलम्ब से जमा किये जाने हेतु ₹ 5.49 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना—जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर—निर्धारित एवं 2,215 स्व कर—निर्धारित मामलों की जाँच में पाया कि आठ अंचलों²⁶ के 26 व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक की अवधि के दौरान ₹ 195.97 करोड़ का स्वीकृत कर/निर्धारित कर एक दिन से 43 माह 20 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया था। व्यवसायी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के अन्तर्गत डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से न तो ब्याज जमा किया गया और न ही उक्त अधिनियम की धारा 39(4) के अन्तर्गत कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर अथवा निर्धारित कर के विलम्ब से भुगतान किये जाने हेतु ब्याज आरोपित किया गया। यहाँ तक कि व्यवसायी का कर—निर्धारण करते समय भी वे ब्याज आरोपित करने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि परिशिष्ट—XVI में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि चार अंचलों (पटना सिटी पूर्वी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष) में 12 व्यवसायियों के मामले में ₹ 2.37 करोड़ का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा अन्य मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.21 स्रोत पर कर की कटौती

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (डी) के अनुसार कर—निर्धारण प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि कर एवं ब्याज के भुगतान के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। भुगतान के दावों को समर्थित करने हेतु वैटमीस पर भुगतान के साक्ष्य (सी—II की प्रति)²⁷ को अपलोड तथा जाँचने की कोई प्रणाली नहीं थी। अतः स्रोत पर की गयी कर की कटौती को नहीं/कम/विलम्ब से जमा किये जाने का पता लगाने हेतु रिटर्न की संवीक्षा के लिए विहित प्रावधान अपर्याप्त था। इसके फलस्वरूप व्यवसायियों द्वारा स्रोत

²⁶ गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

²⁷ कार्य संवेदकों से कर कटौती का प्रमाण—पत्र।

पर की गयी कर की कटौती के समायोजन का अनियमित लाभ लिया गया, जैसाकि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

2.3.21.1 माँग पत्र का अनियमित निर्गमन

उप संवेदक के भुगतान विपत्र से ₹ 48.29 लाख की स्रोत पर की गई कर की कटौती के गलत समायोजन के फलस्वरूप माँग पत्र अनियमित रूप से निर्गत किया गया।

हमने अप्रैल 2015 में पटना विशेष अंचल में पाया कि एक व्यवसायी को कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा (नवम्बर 2014 में) कर-निर्धारण के दौरान ₹ 64.08 लाख के मूल्यवर्द्धित कर का अधिक माँग पत्र निर्गत किया गया था। संवेदक द्वारा, कार्य पर लगाये गए अन्य संवेदक के भुगतान विपत्र से स्रोत पर की गई कर की कटौती की राशि ₹ 48.29 लाख के भुगतान को समायोजित कर माँग पत्र निर्गत किया गया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 के प्रावधान के अनुसार जिस संवेदक के विपत्र से स्रोत पर कर की कटौती की जाती है, समायोजन का दावा उसी के लिए अनुमान्य होगा। इस प्रकार, स्रोत पर की गई कर की कटौती का अनियमित समायोजन के फलस्वरूप ₹ 48.29 लाख का माँग पत्र अनियमित रूप से निर्गत हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2015) कि ₹ 48.29 लाख का माँग पत्र निर्गत किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.21.2 कर भुगतान का अनियमित दावा

एक व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी को निर्गत कर भुगतान प्रमाण पत्र 'सी-II' के आधार पर ₹ 1.80 करोड़ का कर भुगतान का दावा किया, जिसे कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

हमने मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल में पाया (मार्च 2015) कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 2.92 करोड़ के अग्रिम कर की कटौती के रूप में कर भुगतान का दावा किया। इस में से व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत 'सी-II' के आधार पर अनियमित रूप से ₹ 1.80 करोड़ के कर दायित्व के समायोजन का दावा किया, जो कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29(4) के प्रावधान का उल्लंघन था। इसे कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.02 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.22 अधिक कर संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के तीन व्यवसायियों के मामले में अधिक कर के संग्रहण हेतु ₹ 35.23 लाख का अर्थदण्ड कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2015 के बीच नमूना-जाँचित 18 अंचलों में 375 संवीक्षित/कर-निर्धारित एवं 2,215 स्व-कर निर्धारित मामलों में पाया कि वर्ष 2011–12 से 2012–13 की अवधि के दौरान तीन अंचलों (भागलपुर, पाटलीपुत्र एवं पटना विशेष) के तीन व्यवसायियों ने ₹ 19.10 करोड़ का कर संग्रहण एवं जमा किया, जबकि इस

अवधि के दौरान उनके द्वारा बिक्री किये गये वस्तुओं के अनुसार उनका कर दायित्व मात्र ₹ 18.92 करोड़ का था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43(2) के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 17.61 लाख का अधिक कर संग्रहण किया था। पुनः अधिनियम की धारा 43(3) उपबंधित करता है कि अवहेलना के मामले में प्रावधानों के विरुद्ध जाकर संग्रहित राशि के दुगुने के बराबर राशि अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य है। लेकिन कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिक कर संग्रहण का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.23 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XVII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा कि पाटलीपुत्र अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 6.50 लाख का माँग सृजित किया गया है। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.23 कर-वापसी के मामले

2.3.23.1 कर-वापसी का अनियमित समायोजन

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से एक व्यवसायी को कर-वापसी ₹ 6.45 करोड़ का समायोजन का अनुचित लाभ दिया गया, जो दूसरे व्यवसायी को वापस किये जाने योग्य था।

हमने पाटलीपुत्र अंचल में पाया (फरवरी 2015) कि एक व्यवसायी को दूसरे व्यवसायी के देय कर-वापसी की राशि ₹ 6.45 करोड़ का समायोजन दिया गया था, जिसमें से अगस्त 2014 में कर-निर्धारण करते समय ₹ 2.69 करोड़ मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध तथा ₹ 3.76 करोड़ प्रवेश कर के विरुद्ध समायोजित किया गया था। किसी एक व्यवसायी के कर-वापसी से किसी दूसरे व्यवसायी के दायित्व का समायोजन करने का प्रावधान न तो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 68 में और न ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 43 में किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवसायी को कर दायित्व का अनियमित सामंजन देकर ₹ 6.45 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.23.2 कर के भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर कर-वापसी का अनियमित भुगतान

सरकारी खाते में कर के भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणपत्र को सुनिश्चित किये बगैर ₹ 4.39 करोड़ का कर-वापसी किया गया था।

हमलोगों ने जून 2015 में बेगुसराय अंचल में पाया कि छ: व्यवसायियों को वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 4.39 करोड़ का कर-वापसी, वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में दिया गया था, जबकि कर-वापसी आदेश देने से पहले कर-वापसी देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भुगतान प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया था। इस प्रकार, सरकारी खाते में कर के भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर कर-वापसी की गई थी, जबकि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा अधिसूचित (जून 2010) किया गया था कि अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कर-वापसी आदेश के समय कर-वापसी भुगतान आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा कोषागार में कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रमाण-पत्र को सुनिश्चित कर लिया जाना है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

हमने जून 2015 में पाया कि विभाग के उच्च प्रबंधन द्वारा कुशल अनुश्रवण हेतु अपीलीय न्यायालय द्वारा वापस किए गए मामले, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के उपरान्त कर—निर्धारण तथा संयुक्त आयुक्त लेखापरीक्षा के कारण किए गए अनुपालन कर—निर्धारणों से संबंधित कोई रिपोर्ट/रिटर्न विहित नहीं था। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गई त्रुटियाँ नीचे वर्णित हैं।

2.3.24.1 कमिशनरी स्तर पर मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु कम संख्या में व्यवसायियों का चयन

वर्ष 2012–13 को छोड़कर वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान राज्य में विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों के चयन की प्रतिशतता (0.55 से 1.71) कम थी।

वाणिज्य कर आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान मूल्यवर्द्धित कर की लेखापरीक्षा के लिए 0.55 प्रतिशत से 11.07 प्रतिशत व्यवसायियों का चयन किया गया था। मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के लिए चयनित व्यवसायियों का विस्तृत विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका 2.8

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या (प्रतिशतता कोष्ठक में)	18 चयनित अंचलों में निबंधित व्यवसायियों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या (प्रतिशतता कोष्ठक में)
2010–11	2,04,573	2,682 (1.31)	74,476	1,451 (1.95)
2011–12	1,92,645	3,296 (1.71)	89,183	1,844 (2.06)
2012–13	2,32,897	25,788 (11.07)	99,149	10,211 (10.29)
2013–14	2,76,010	1,513 (0.55)	1,09,924	797 (0.72)

(स्रोत: विभाग/अंचलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 (11.07 प्रतिशत), जहाँ व्यवसायियों का चयन 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को पार कर गई थी, को छोड़कर अन्य वर्षों के दौरान व्यवसायियों की काफी कम प्रतिशतता (0.55 से 1.71) का चयन किया गया था, यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमवाली की क्रमशः धारा 26(3) एवं नियम 22 के प्रावधानों के तहत व्यवसायियों के 10 प्रतिशत तक का चयन किया जा सकता है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.2 मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु योग्य व्यवसायियों का चयन नहीं किया जाना

आठ अंचलों में वर्ष 2013–14 के दौरान मानदंड पूरा करने के बावजूद 55 व्यवसायियों का चयन मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु नहीं किया गया था।

वैटमीस साफ्टवेयर में संधारित विभाग के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया कि आठ अंचलों²⁸ में मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों के चयन हेतु विनिर्दिष्ट मानदंड—VI²⁹ पूरा करने के बावजूद निर्बंधित 55 व्यवसायियों का चयन वर्ष 2013–14 में मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु नहीं किया गया था, जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.3 मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा मैन्युअल विहित नहीं किया जाना

हमने पाया कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुप्रवाही तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रक्रियागत एवं कार्यपद्धति पहलुओं, जैसे कि लेखापरीक्षा योजना की तैयारी, लेखापरीक्षा अवलोकन की कार्यालय प्रति और प्रासंगिक कागजातों की संचिका का संधारण, आपत्ति पुस्तिका तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष का अनुसरण आदि को समाविष्ट करते हुए नियंत्रण तंत्र को विनिर्दिष्ट करने हेतु विभाग द्वारा कोई लेखापरीक्षा मैन्युअल सात वर्ष बीत जाने के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.4 संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) स्तर पर नियंत्रण प्रणाली का अभाव

लेखापरीक्षा योजना, की गई लेखापरीक्षा, आपत्ति की गई/वसूली की गई राशि इत्यादि की सूचनाएँ अभिलेखित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, लेखापरीक्षा में कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं था तथा यहाँ तक कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति भी उपलब्ध नहीं थे।

दो लेखापरीक्षा प्रमंडलों (पटना एवं केन्द्रीय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2010–11 के लिए केन्द्रीय प्रमंडल तथा पटना प्रमंडल द्वारा क्रमशः 336 और 978 व्यवसायियों के रिटर्न/अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी। लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान आपत्ति की गई राशि से संबंधित कोई सूचना हमें प्रस्तुत नहीं की गई। हमने पाया कि ऐसी कोई भी पंजी/अभिलेख, जिसमें व्यवसायी—वार की गई लेखापरीक्षा संबंधी सूचना, आपत्ति की गई राशि तथा की गई वसूली की जाँच हो सके, संधारित नहीं की गई थी। यहाँ तक कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति भी इन लेखापरीक्षा प्रमंडलों में नहीं पाया गया।

यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित व्यवसायियों की संख्या तथा उपलब्ध मानव बल/मानव कार्यदिवस के संबंध में कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप चयनित व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की प्रगति धीमी थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि वर्ष 2011–12 में केन्द्रीय प्रमंडल तथा पटना प्रमंडल के

²⁸ बेगुसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य एवं पटना दक्षिणी।

²⁹ ₹ 20 करोड़ के सकल आवर्त वाले कार्य संवेदकों।

क्रमशः 426 एवं 1,249 चयनित व्यवसायियों में से मात्र आठ (1.87 प्रतिशत) तथा 69 (5.52 प्रतिशत) व्यवसायियों की लेखापरीक्षा अब तक हुई थी। पुनः वर्ष 2012–13 के मामलों की लेखापरीक्षा प्रारंभ नहीं की गई थी अतः इस गति से निर्धारित तिथि के अंदर लेखापरीक्षा के पूर्ण होने की संभावना क्षीण प्रतीत होती है।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.5 अंचल स्तर पर मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा का काफी कम प्रभाव

नमूना—जाँचित 18 अंचलों में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से संबंधित कुल 1,195 चयनित व्यवसायियों, जिनका कर-निर्धारण, कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया था, में से 609 व्यवसायियों के मामले में मात्र ₹ 2.88 करोड़ की माँग सृजित की गई थी तथा ₹ 7.39 लाख की मामूली राशि की वसूली की जा सकी थी, जो मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के काफी कम प्रभाव की ओर इंगित करता है। 586 मामलों में कर संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जिसका अर्थ था कि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के लिए व्यवसायियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड उचित जोखिम विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

सरकार/विभाग मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों की चयन/मानदण्ड/प्रक्रिया को अधिक समावेशी एवं पारदर्शी बनाने तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही एवं प्रभावी बनाने के लिए एक ऑडिट मैनुअल विहित किए जाने पर विचार कर सकती है।

2.3.24.6 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा से संबंधित कर निर्धारणों का लंबित रहना

सतरह चयनित अंचलों में 536 लेखापरीक्षा अवलोकन अनुपालन कर-निर्धारण हेतु एक माह के विहित समय की समाप्ति के बावजूद लंबित थे।

अठारह चयनित अंचलों में से 17 अंचलों के अभिलेखों की नमूना—जाँच के दौरान हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान तथा दिसम्बर 2006 में वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा कार्यवाही शुरू करने के एक महीने के अंदर लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन हेतु निर्गत अनुदेश के बावजूद वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 1,865 लेखापरीक्षा अवलोकनों में से मात्र 1,329 मामलों में अंचलों द्वारा अनुपालन कर-निर्धारण किया गया था तथा शेष 536 मामले कर-निर्धारण हेतु लंबित थे। हमने पुनः पाया कि कर-निर्धारित मामलों में विभाग द्वारा ₹ 753.54 करोड़ का माँग सृजित किया गया था, जिसमें से मात्र ₹ 228.81 करोड़ की ही वसूली की जा सकी थी। एक माह की विहित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर कर-निर्धारण नहीं किया जाना, जैसाकि वाणिज्य—कर आयुक्त का निदेश था, विभाग में कमज़ोर नियंत्रण प्रणाली का सूचक था।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.7 अपीलीय न्यायालयों द्वारा वापस किए गए मामलों में कर—निर्धारण कालातीत हो जाना

14 अंचलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान अपीलीय न्यायालयों द्वारा वापस किए गए 71 मामले विहित समय सीमा के बीत जाने के बाद भी कर—निर्धारण हेतु लंबित पड़े थे तथा कालातीत हो गए थे।

नमूना—जांचित 18 अंचलों में से 14 अंचलों³⁰ द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान अपीलीय न्यायालयों द्वारा 473 मामले वापस किए गए थे, जिनमें सिर्फ 402 मामलों में कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर—निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2010–11 से 2013–14 से संबंधित 71 मामले वापसी हेतु लंबित रह गए, जो 31 मार्च 2015 को कालातीत हो गए थे, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 37 के नीचे प्रथम परन्तुक में प्रावधान है कि कर—पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, जो कि अपील के आदेश, पुनरीक्षण या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो, कर—निर्धारण प्राधिकारी को संसूचन वर्ष की समाप्ति के बाद के एक वर्ष के अंदर प्रारंभ व पूर्ण करना होगा। पुनः यह देखा गया कि ₹ 389.11 करोड़ के माँग के विरुद्ध मात्र ₹ 316.62 करोड़ की वसूली की गई थी।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

2.3.24.8 कर—निर्धारण/संवीक्षा के मामलों का अनुश्रवण

● हमने मई 2015 में पाया कि बेहतर आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए कर—निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित मामलों को लेखापित करने हेतु कोई पंजी विहित नहीं थी।

मामला विभाग/सरकार को जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

● हमने जून 2015 में पाया कि उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के तहत अंचलों के अधिकारियों द्वारा की गई कर—निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित कोई प्रतिवेदन/रिटर्न विहित नहीं थी, जिससे कि कर—निर्धारण/संवीक्षा के कार्य का दक्षतापूर्वक अनुश्रवण हो तथा तत्पश्चात कार्रवाई किया जा सके।

● हमने जून 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत अंचलों के कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गयी कर—निर्धारण/संवीक्षा के मामलों की कुछ प्रतिशतता उच्च प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जाँचने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

इसे जून 2015 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकिजट कन्फ्रेंस में कहा कि यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में कर—निर्धारण/संवीक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रतिवेदन/रिटर्न का प्रावधान नहीं किया गया था, तथापि मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक बैठकों में कर—निर्धारण/संवीक्षा के मामले का अनुश्रवण किया जाता है। कर—निर्धारण/संवीक्षा की कमजोर नियंत्रण प्रणाली, इस प्रतिवेदन की कंडिका 2.3.10.3 पर हमारी लेखापरीक्षा अवलोकन से भी स्पष्ट था।

³⁰ बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, फरबिसगंज, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष तथा पूर्णियाँ।

2.3.24.9 डी.सी.बी. पंजी विहित नहीं किया जाना

हमने मई 2015 में पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत माँग, संग्रहण तथा शेष (डी.सी.बी.) पंजी के संधारण का प्रावधान नहीं था। इस नियंत्रण तंत्र के अभाव में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर-निर्धारित/संवीक्षित मामलों में माँग, राजस्व के बकायों का संग्रहण तथा जमा की जाने वाली शेष राशि को दर्ज करने का कोई तंत्र विहित नहीं था, ताकि इनका प्रभावशाली रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

इसे जून 2015 में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2015 में एकिजट कन्फ्रेन्स के दौरान कहा कि इस संबंध में उक्त पंजी के संधारण हेतु परिपत्र निर्गत किया जा चुका है।

2.3.25 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकटित हुआ:

- रिटर्न को अपलोड करते समय सभी क्षेत्रों एवं बाक्स को भरा जाना विभाग ने अनिवार्य नहीं किया था। इसके फलस्वरूप व्यवसायी अधूरे रिटर्न दाखिल करते थे, जिसे विभाग द्वारा स्व-कर निर्धारित मान लिया जाता था।
- नमूना-जाँचित 18 अंचलों में से मात्र तीन से पाँच अंचलों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा कर-आधार को बढ़ाने हेतु सर्वे किया गया था, जिसके फलस्वरूप सर्वे के आधार पर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत मात्र 275 व्यवसायियों ने निबंधन कराया था।
- काफी संख्या में निबंधित व्यवसायियों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा काफी कम संख्या में रिटर्न/अभिलेखों की संवीक्षा/कर-निर्धारण की गई थी।
- क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव, कटौतियों का गलत/अधिक लाभ लिये जाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिये जाने/अनुमति दिये जाने, अतिरिक्त कर एवं सरचार्ज का आरोपण नहीं किये जाने, क्रय कर का आरोपण नहीं किये जाने, स्वीकृत कर/निर्धारित कर का भुगतान नहीं/कम किये जाने, ब्याज का आरोपण नहीं किये जाने तथा कम कर आरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व का रिसाव हुआ।
- आंतरिक तंत्र संरचना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों का अपर्याप्त चयन किया गया, योग्य व्यवसायियों का चयन नहीं किया गया तथा मूल्यवर्द्धित कर मैन्युअल विहित नहीं किये गये थे। संवीक्षित/कर-निर्धारित मामलों को अभिलेखित/अनुश्रवण हेतु कोई पंजी/रिपोर्ट/रिटर्न विहित नहीं थे।

2.4 “वाणिज्य-कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण” पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

परिचय

व्यवसायियों को सेवा देने में सुधार और कुशल मूल्यवर्द्धित कर प्रशासन के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा नवम्बर 2006 में वाणिज्य-कर विभाग में मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) का काम मेसर्स टाटा कसल्टेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस.)

को नामांकन के आधार पर आबंटित किया गया था। वैटमीस, राष्ट्रीय ई—गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरानेट (ब्रन) डाटा सेन्टर (डी.सी.) में स्थापित सर्वर पर संचालित होता है।

(कंडिका 2.4.1)

परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस

लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (बी.एस.ई.डी.सी., राज्य नामित एजेन्सी) और मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (वैटमीस कार्यान्वयन के लिए मनोनीत एजेन्सी) के सर्विस लेवेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और यूजर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसीफिकेशन, सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेन्ट, डाटा फ्लो डाइग्राम एवं डाटा डिक्शनरी इत्यादि से संबंधित अभिलेख नहीं थे। इसके अलावे, वाणिज्य—कर विभाग के पास कम्प्यूटर प्रणाली के लिए एप्लीकेशन का सोर्स कोड, एकिंट मैनेजमेन्ट और डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नहीं था।

(कंडिका 2.4.6)

निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधियों के पूरा न होने के कारण वाणिज्य—कर विभाग के लिए मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) के केन्द्रीय हिस्से में कटौती की गई थी। प्रणाली का डिजास्टर रिकवरी केन्द्र नई दिल्ली के स्थान पर पटना में स्थापित किया गया था।

(कंडिका 2.4.7 एवं 2.4.8)

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण

कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में विभिन्न कमियाँ थीं, जैसे करदाताओं की पहचान संख्या (टीन) और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या (सुविधा) व्यवसायियों की अधूरी जानकारी के साथ तैयार की गई थी और कम्प्यूटर प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक नियमों और वैलिडेशन जाँच मैप नहीं किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप अपलोडेड डाटा में बहुत सारी त्रुटियाँ थीं जिसकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी थीं और व्यवसायी अपने पक्ष में तथ्यों को छुपाये जाने हेतु समर्थ थे।

(कंडिका 2.4.12 से 2.4.14)

2.4.1 परिचय

वाणिज्य—कर विभाग, बिहार सरकार में कम्प्यूटरीकरण का कार्य, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को सौंपते हुए वर्ष 1999—2000 में शुरू किया गया था। बाद में, बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने नवंबर 2006 में मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड को नामांकन के आधार पर मूल्यवर्द्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमीस) का कार्य आबंटित किया था। कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों को नीचे दर्शाया गया हैं:

- व्यवसायियों को बेहतर सेवा प्रदान करना;
- कुशल मूल्यवर्द्धित कर प्रशासन;
- कम प्रतिक्रिया समय में अधिकारियों और व्यवसायियों के बीच कम से कम इन्टरफ़ेस;
- विभिन्न प्राधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान—प्रदान; तथा
- जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना।

वैटमीस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन) डाटा सेन्टर (डी.सी.) में स्थापित सर्वर पर संचालित होता है। वाणिज्य-कर विभाग मुख्यालय के साथ-साथ सभी अंचल भारत संचार निगम लिमिटेड के लीजड लाइन्स/सेक्रेटेरिएल लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से ब्रेन डी.सी. से जुड़े हुए थे। बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (एन.ई.जी.पी. के अधीन बीस्वान) ब्रेन डी.सी. एवं स्थानों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मुख्य आधार प्रदान करता है। वैटमीस की स्थापना के फलस्वरूप वाणिज्य-कर विभाग के हितधारक अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल एवं 40 से अधिक प्रमुख बैंकों के पेमेंट गेटवे के द्वारा अपने ई-भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, इस एप्लीकेशन के कारण, वाणिज्य-कर विभाग टैक्स रिटर्न की प्राप्ति, व्यवसायियों द्वारा किये गए भुगतान की निगरानी, वैधानिक नियम के अधीन वसूली प्रक्रिया द्वारा बकायदारों का पता लगाने के लिए आधार तैयार, देय कर का कर-निर्धारण/पुनर्करनिर्धारण, तिर्यक जाँच के लिए डाटा तैयार एवं उसका प्रौसेसिंग कर सकते हैं। वैटमीस के एप्लीकेशन कार्यक्षमता के अंतर्गत मूल्यवर्द्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर और पेशाकर शामिल हैं।

2.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

स्टेट डेजिनेटेड एजेन्सी (एस.डी.ए.) होने के कारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.एस.ई.डी.सी.) बिहार सरकार के विभागों में सभी तरह के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरीद के साथ साथ वाणिज्य-कर विभाग में वैटमीस के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार था। जबकि वाणिज्य-कर विभाग में वाणिज्य-कर आयुक्त अधिनियमों एवं नियमावली के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई कि:

- प्रणाली ने नियत उद्देश्य प्राप्त किया, व्यापार प्रक्रियाओं का समर्थन किया, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया तथा डाटा की अंखंडता को बनाए रखा;
- प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक संगठनात्मक नियंत्रण प्रणाली में मौजूद थे;
- सूचना प्रणाली की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण मौजूद थे; तथा
- व्यापार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण मौजूद थे।

2.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से ली गई थी:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005; तथा
- समय समय पर सरकार द्वारा जारी राजपत्र/अधिसूचनाएँ।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य-पद्धति

वाणिज्य-कर विभाग की कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कम्प्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक की सहायता से फरवरी और जून 2015 के बीच किया गया और तकनीकी भवन, पटना में अवस्थित ब्रेन डी.सी. से डाटा संग्रहित किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, वैटमीस एप्लीकेशन में मौजूद विभिन्न मॉड्यूल³¹ से संबंधित अप्रैल 2009 से जनवरी 2015 तक के डाटा को निकाला गया और इसका विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्य-कर विभाग एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रश्नावली एवं लेखापरीक्षा आपत्ति जारी किये गये थे। 13 मार्च 2015 को एक इंट्री कन्फ्रेंस में प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति के संबंध में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशों की चर्चा 18 सितम्बर 2015 को आयोजित एकिजट कन्फ्रेंस में की गई। एकिजट कन्फ्रेंस के दौरान एवं अन्य समयों पर प्राप्त उत्तरों को प्रासंगिक कंडिकाओं में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष को विस्तृत रूप से मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्णित की गई हैं – ‘परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस’ (कंडिका संख्या 2.4.6 से 2.4.11) एवं ‘सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण’ (कंडिका संख्या 2.4.12 से 2.4.14)।

परियोजना प्रबंधन और गवर्नेंस

बिहार सरकार, राज्य मंत्रीमंडल के निर्णयानुसार, उद्योग विभाग ने मेसर्स टी.सी.एस. को नामांकन के आधार पर वैटमीस का कार्य आबंटित (नवंबर 2006) किया। आबंटन आदेश के अनुसार, इस काम को बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। तदनुसार, बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वैटमीस के कार्यान्वयन के लिए टी.सी.एस. को क्रय आदेश (नवंबर 2006) जारी किया। क्रय आदेश में मूल्यवर्द्धित कर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ढाँचे की स्थापना और कार्यान्वयन प्रभार (कोर प्रभार), तीन वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) और प्रशिक्षण सम्मिलित था। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्यों का पता लगा।

2.4.6 सर्विस लेवल एग्रीमेंट का हस्ताक्षर नहीं होना और अप्र्याप्त प्रलेखन

सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (यूआर.एस.) और सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट (एस.डी.डी.), जो कि विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रणाली का पूर्ण विवरण देता है, उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जिससे कि भेन्डर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझ सके। इसके अलावा, उचित दस्तावेज जैसे कि यूआर.एस., सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन (एस.आर.एस.), एस.डी.डी., डाटा फलो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी इत्यादि, इस परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. को बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सौंपे गये क्रय आदेश (नवम्बर 2006) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि क्रय आदेश को बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं टी.सी.एस. के बीच एक विस्तृत समझौते के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, परन्तु न

³¹ निबंधन, चेक पोस्ट (वैधानिक प्रपत्र), रिटर्न एवं पेमेन्ट।

तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया (जून 2015 तक) और न ही वार्षिक रखरखाव के शर्तों के अंतर्गत कार्य के ब्योरे को समाहित किया गया था। सिस्टम डेवलपर द्वारा तैयार किये गये प्रासंगिक दस्तावेज (यूआर.एस., एस.डी.डी.) वाणिज्य-कर विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। फलस्वरूप, वाणिज्य-कर विभाग प्रत्येक कदम पर कार्यान्वयन एजेन्सी पर निर्भर था क्योंकि इनके पास एप्लीकेशन का सोर्स कोड और एकिजट मैनेजमेन्ट नहीं था। विभाग ने टी.सी.एस. के परिवर्तन अनुरोध प्रस्ताव (परिवर्धन/परिवर्तन) को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा की तिथि तक टी.सी.एस. को ₹ 2.21 करोड़ में से ₹ 88.00 लाख का भुगतान किया। ए.एम.सी. का क्षेत्र अपरिभाषित रहने के कारण, वाणिज्य-कर विभाग, टी.सी.एस. पर निम्न/गैर प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह का तरलता क्षति/जुर्माना लगाने की स्थिति में नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं टी.सी.एस. के बीच एकिजट मैनेजमेन्ट एवं सोर्स कोड के प्रावधानों के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट जुलाई 2015 में हस्ताक्षर किया गया था। परिवर्तन प्रस्ताव के भुगतान के संबंध में, विभाग ने कहा कि विभाग की आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है एवं इसे पूर्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे, यह बताया गया कि टी.सी.एस. द्वारा विकसित सभी मॉड्यूल्स विभाग के पास उपलब्ध हैं और भुगतान मॉड्यूल्स से संबंधित यूआर.एस. की एक सैम्पल कॉपी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया गया है।

परिवर्तन प्रस्ताव के भुगतान से संबंधित विभाग का जबाब मान्य नहीं है, क्योंकि टी.सी.एस. को क्रय आदेश देने से पहले विभाग/एस.डी.ए. द्वारा यूजर रिक्वायरमेन्ट पूर्व चिह्नित नहीं किया गया था और ए.एम.सी. के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित नहीं होने के कारण टी.सी.एस. द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकार करना पड़ा और जिसके लिए भुगतान भी किया गया। इसके अतिरिक्त, अगर विभाग की आवश्यकता बदलती रहती है तो इससे संबंधित शर्तों को भी समझौते में तदनुसार समाहित किया जाना चाहिए था। पुनः यूआर.एस./एस.डी.डी. से संबंधित विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा के साथ केवल मॉड्यूल-वार डाटाबेस टेबल लिस्ट को ही साझा किया गया।

2.4.7 प्रणाली की वित्तीय स्थिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत वाणिज्य-कर प्रशासन (एम.एम.पी.सी.टी.) के कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल परियोजना लागत ₹ 51.21 करोड़ स्वीकृत किया था (26 मार्च 2010), जिसमें क्रमशः केन्द्रीय हिस्सा ₹ 35.05 करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 16.16 करोड़ था। निधियों के केन्द्रीय हिस्से की विमुक्ति, परियोजना के विभिन्न माइलस्टोन की उपलब्धि से जुड़ी हुई थी। प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2014 (एक वर्ष के विस्तारीकरण के उपरांत) तक पूरा कर लिया जाना था। इस परियोजना के अंतर्गत वास्तविक विमुक्ति एवं व्यय की विवरणी नीचे तालिका 2.9 में दी गयी है:

तालिका 2.9

एम.एम.पी.सी.टी. के अंतर्गत विमुक्तिकरण और व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	आरंभिक शेष	निधि की वास्तविक विमुक्ती		कुल उपलब्ध निधि	व्यय			अंतिम शेष
		भारत सरकार	बिहार सरकार		बी.एस.ई.डी.सी.	वाणिज्य-कर विभाग	कुल	
2009–10	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2010–11	500.00	0.00	250.00	750.00	6.72	0.00	6.72	743.28
2011–12	743.28	1000.00	647.00	2390.28	443.26	171.47	614.73	1775.55
2012–13	1775.55	1654.00	345.00	3774.55	685.41	8.79	694.20	3080.35
2013–14	3080.35	0.00	374.00	3454.35	961.56	0.00	961.56	2492.79
2014–15	2492.79	0.00	0.00	2492.79	6.55	190.41	196.96	2295.83
कुल		3154.00	1616.00		2103.50	370.67	2474.17	

(स्रोतः—बी.एस.ई.डी.सी. और वाणिज्य-कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 51.21 करोड़ के परियोजना के विरुद्ध केवल ₹ 47.70 करोड़ निर्गत किया गया था और निर्गत राशि के विरुद्ध केवल ₹ 24.74 करोड़ व्यय हुए जो कि एम.एम.पी.सी.टी. के माइलस्टोन³² का अपूर्ण रहना इंगित करता था।

आगे, यह पाया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना की गतिविधि / माइलस्टोन पूरा नहीं होने के कारण केन्द्रीय हिस्से की राशि ₹ 3.51 करोड़ (प्रस्तावित केन्द्रीय हिस्से की राशि ₹ 35.05 करोड़ के विरुद्ध ₹ 31.54 करोड़ की विमुक्ति) प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे, यह भी पाया गया कि मुख्यालय में साइट तैयार करने (एम.एम.पी.सी.टी. का एक अंगभूत भाग) में दो वर्ष से अधिक विलम्ब के कारण राज्य को केन्द्रीय हिस्से से वंचित होना पड़ा और ₹ 38.46 लाख का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ट्रैमासिक, भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संधारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि ऑनलाईन रिफन्ड प्रकार्य का समापन कार्य प्रगति पर है। जैसे ही मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) लेखापरीक्षा आयोजित हो जाती है, विभाग भारत सरकार से शेष राशि विमुक्त करने हेतु आग्रह करने की स्थिति में होगा।

2.4.8 नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र को स्थापित नहीं किया जाना

डिजास्टर रिकवरी केन्द्र के लिए विनिहित उपकरणों की स्थापना नई दिल्ली (अलग भूकंपीय क्षेत्र) में नहीं किया गया था।

एम.एम.पी.सी.टी. की शर्तों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में अपना कार्य करने वाले किसी भी संस्था के लिए डिजास्टर रिकवरी केन्द्र (डी.आर.सी.) की स्थापना अनिवार्य थी, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि की स्थिति में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र से डाटा पुनः प्राप्त किया जा सके एवं संस्था सूचारू रूप से

³² डिजास्टर रिकवरी केन्द्र, राज्य डाटा सेन्टर का उपयोग, कॉमन सेवा केन्द्र का उपयोग, ई-रिफन्ड।

कार्य कर सके। तदनुसार, सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मंजूरी (मार्च 2012) दी थी। आगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वाणिज्य-कर विभाग के पक्ष में ₹ 1.60 करोड़ की हार्डवेयर (आई.टी. उपकरण) का क्रय (मार्च 2013) किया।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डिजास्टर रिकवरी केन्द्र, नई दिल्ली में इन उपकरणों को स्थापित नहीं किया गया था और बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भवन, पटना में बेकार पड़े हुए थे। फलस्वरूप, डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना (एम.एम.पी.सी.टी. का माइलस्टोन) लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2015) तक पूरा नहीं किया जा सका। आगे, यह भी देखा गया कि विभाग से बैकअप डाटा का परीक्षण कभी भी नहीं किया था।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि डिजास्टर रिकवरी केन्द्र की स्थापना हो चुकी है एवं राज्य डाटा सेन्टर में कार्यशील है। अतः यह अधिप्राप्त हार्डवेयर की अनुपयोगिता का मामला नहीं था।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि डाटा रिकवरी केन्द्र हेतु चिन्हित उपकरणों को पटना के स्थान पर नई दिल्ली (अलग भूकंपीय क्षेत्र) में स्थापित किया जाना था।

2.4.9 सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति पर अधिक व्यय

बिना आवश्यकता के ₹ 8.29 लाख के एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अधिक अधिप्राप्ति की गई।

विभागीय पत्र (मई 2012) के अनुसार मिशन मोड परियोजना के तहत वाणिज्य-कर कार्यालयों के लिए 274 डेस्कटॉप³³, 389 लैपटॉप³⁴ और 663 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस³⁵ की अधिप्राप्ति की जानी थी।

अधिप्राप्ति से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने यह पाया कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 274 डेस्कटॉप और 300 लैपटॉप (389 में से) अधिप्राप्त किया जबकि आवश्यक 574 (274+300) लाइसेंस के विरुद्ध 663 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अधिप्राप्त किया गया। इस प्रकार, बिना आवश्यकता के ₹ 8.29 लाख³⁶ के 89 एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अधिक अधिप्राप्ति की गयी। आगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 300 लैपटॉप में से मात्र 209 लैपटॉप का ही विवरण प्रस्तुत किया।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग/स्टेट डेजिनेटेड एजेन्सी ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2015) किया एवं कहा कि 19 लाइसेंस पुराने डेस्कटॉप में स्थापित किए गए थे और शेष 70 लाइसेंस भविष्य में की जाने वाली अधिप्राप्तियों पर उपयोग में लायी जायेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टेक्नालॉजी में त्वरित बदलाव होती रहती है एवं विभाग भविष्य में कम कीमत पर उन्नत संस्करण प्राप्त कर सकता है।

³³ प्रति डेस्कटॉप ₹ 55569 की दर से।

³⁴ प्रति लैपटॉप ₹ 53077 की दर से।

³⁵ प्रत्येक एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस ₹ 9317 की दर से।

³⁶ 89 x ₹ 9317= ₹ 829213

2.4.10 डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) को अधिक भुगतान

अलग से डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) को सेवा पर लगाये जाने के कारण विभाग ने ₹ 16.18 लाख का अधिक भुगतान किया।

बिहार सरकार के लिए ब्रेन परियोजना के तहत बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वैटमीस के कार्यान्वयन का कार्य तीन वर्ष (जिसे 22 अगस्त 2015 तक विस्तारित किया गया था) के लिए ₹ 1.26 करोड़ वार्षिक रखरखाव खर्च सहित टी.सी.एस. को आवंटित (28 नवंबर 2006) किया गया था। उपर उल्लेखित कार्य के अलावा, टी.सी.एस. ने डाटा सेंटर में सर्वर की बेहतर निगरानी के लिए एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डी.बी.ए.) का प्रस्ताव प्रस्तुत (27 जनवरी 2012) किया।

नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. द्वारा वार्षिक रखरखाव खर्च के अंतर्गत किये जाने वाले विस्तृत कार्यों का ब्यौरा अभिलेख पर नहीं था। एम.एम.पी.सी.टी. के वरिष्ठ सलाहकार भी टी.सी.एस. द्वारा अतिरिक्त डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के प्रस्ताव के विरुद्ध थे और वाणिज्य-कर विभाग को सलाह दिया (जुलाई 2012) कि वार्षिक रखरखाव खर्च में सभी प्रकार के सपोर्ट को शामिल किया जाना चाहिए और मानव संसाधन के लिए अलग से भुगतान की माँग नहीं की जानी चाहिए। जबकि वाणिज्य-कर विभाग एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और डी.बी.ए. की सेवा लेने के लिए टी.सी.एस. को अलग से ₹ 16.18 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि डी.बी.ए. का कार्य टी.सी.एस. के आरंभिक कार्य क्षेत्र का भाग नहीं था। जब ऑनलाईन सेवा की शुरुआत की गयी तब डी.बी.ए. की आवश्यकता प्रतीत हुई एवं टी.सी.एस. को एक वर्ष के लिए यह कार्य दिया गया था। विभाग के उत्तर से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि किये जाने वाले कार्य का क्षेत्र वार्षिक रखरखाव खर्च के अंतर्गत उल्लेखित होना चाहिए था।

2.4.11 चेक पोस्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर निष्फल व्यय

एक अन्य चेकपोस्ट सिस्टम विकसित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप ₹ 12.24 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

वैटमीस के कार्यान्वयन हेतु क्रय आदेश के अनुसार, टी.सी.एस. द्वारा चेकपोस्ट प्रणाली मॉड्यूल (गुड्स इन्फारमेंशन सिस्टम) कार्यान्वित किया जाना था। तदनुसार, टी.सी.एस. ने आवश्यक चेकपोस्ट प्रणाली हेतु आवश्यक एप्लीकेशन विकसित किया।

वाणिज्य-कर विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि टी.सी.एस. द्वारा चेक पोस्ट के लिए www.biharcommercialtax.gov.in एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद, वाणिज्य-कर विभाग ने मेसर्स बेस्ट को एक अन्य चेक पोस्ट सिस्टम मॉड्यूल यथा, ऑनलाईन डी-VII (आउट टू आउट), डी-VIII (राज्य के भीतर) साफ्टवेयर विकसित करने का आदेश (मई 2013) दिया। तदनुसार, मेसर्स बेस्ट ने एक दूसरा सॉफ्टवेयर www.ctdbihar.gov.in विकसित किया और उस कार्य

के लिए ₹ 12.24 लाख की राशि प्राप्त किया (जून 2014)। बाद में मेसर्स बेस्ट द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के उपयोग को त्याग दिया गया (मई 2015)। इसके अलावा, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के प्रावधान का उल्लंघन कर बगैर निविदा आमंत्रित किये एवं उपरोक्त नियमावली के नियम 30 (V) के विपरीत बिना समझौते को क्रियान्वित किये ही बेस्ट को कार्य आबंटित कर दिया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर वाणिज्य-कर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2015) और कहा कि मूल रूप से अधिप्राप्त सर्वर में अतिरिक्त कार्य जोड़े (ई-सुविधा) जाने के कारण बोझ अधिक बढ़ गई थी। सर्वर की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए हार्डवेयर का क्रय किया गया था लेकिन ओरेकल लाइसेंस की अनुपलब्धता के कारण उसे स्थापित नहीं किया जा सका। सर्वर की क्षमता में रुकावटों को देखते हुए, विभाग ने एक अन्य वेबसाइट पर ई-सुविधा के भार को हटाकार दूसरे वेबसाइट पर डालने का फैसला किया और वाणिज्य-कर विभाग ने ई-सुविधा जनित करने हेतु विशेष रूप से एक वेबसाइट विकसित करने के लिए बेस्ट के साथ पहल की। लेकिन मेसर्स बेस्ट द्वारा प्रदत्त सेवा स्तरीय नहीं था एवं सेवा प्रदाता मेसर्स बेस्ट ने लिखित रूप में यह दिया कि तार्किक समस्याओं के कारण प्रदान की जाने वाली सेवा को जारी रखने में वह असमर्थ है और यह निर्णय लिया गया कि यह वेबसाइट अप्रैल 2015 से बंद कर दिया जाएगा।

जबाब यह दर्शाता है कि टी.सी.एस. को क्रय आदेश जारी करने से पहले विभाग/एस.डी.ए. द्वारा विभाग की आवश्यकताओं को पूर्वचिन्हित नहीं किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण एक विशिष्ट नियंत्रण है जो लेन-देन, रख-रखाव एवं अन्य प्रकार के इनपुट डाटा के उचित प्राधिकार, पूर्णता, शुद्धता एवं वैधता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इस नियंत्रण का उपयोग (मुख्य रूप से प्रबंधन करने के लिए) यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है की सभी लेनदेन मान्य, अधिकृत और अभिलेखित हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के दौरान वैटमीस एप्लीकेशन के निबंधन मॉड्यूल, चेकपोस्ट मॉड्यूल एवं रिटर्न और पेमेन्ट मॉड्यूल का विश्लेषण सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण के अंतर्गत किया गया।

2.4.12 निबंधन मॉड्यूल

कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटिपूर्ण इनपुट कंट्रोल एवं वैलिडेशन जाँच के कारण कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा अमान्य प्रविष्टियों को स्वीकार किया गया था।

वैटमीस का निबंधन मॉड्यूल, निबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं अर्थात्, प्रारम्भिक निबंधन, करों का संग्रहण, निबंधन का निरस्तीकरण इत्यादि, के प्रबंधन में कर-निर्धारण पदाधिकारी की मदद करता है। किसी व्यवसायी की पहचान और उसके सभी लेन-देनों की जाँच के लिए एक विशिष्ट निबंधन संख्या³⁷, मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली का नींव है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 (2) के साथ पठित मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रपत्र 'ए-I' में एक आवेदन दिया जाना है जिसमें कुछ सूचनाएँ जैसे, पैन, बैंक विवरण इत्यादि, दिया जाना है। पुनः प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-सी-I में व्यवसायी को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र में वह तिथि,

³⁷ टीन (करदाता पहचान संख्या)।

जिस दिन से व्यवसायी इस अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु दायी है, अंकित होता है। निबंधित व्यवसायियों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जैसे कम्पाउंडिंग³⁸, नॉर्मल इत्यादि तथा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इन व्यवसायियों को विशिष्ट कोड, यथा, वाई.बी., वाई.सी., एस.डी. एवं नॉर्म आबंटित करते हुए विशिष्ट श्रेणी अंकित कर अलग पहचान करता है।

डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि वाणिज्य—कर विभाग में जनवरी 2015 तक कुल 3,37,318 व्यवसायी निबंधित थे तथा उपरोक्त वर्णित विवरण कई व्यवसायियों के मामलों में या तो प्रविष्ट नहीं थे अथवा अमान्य डाटा के साथ प्रविष्ट किये गये थे, जिसका विवरण निम्न तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10 डाटा में त्रुटियाँ

त्रुटियाँ के विवरण	व्यवसायियों की संख्या
पैन अनुपलब्ध या अमान्य पैन	64,405
निबंधन का प्रकार—रिक्त	1,910
बैंक विवरण—अनुपलब्ध	99,765
(स्रोत – बी.एस.ई.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर प्रणाली ने अमान्य प्रविष्टियों को भी स्वीकार किया था। यह कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटिपूर्ण इनपुट कंट्रोल का सूचक था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (जुलाई 2015) कि प्रारंभिक चरण में पैन की प्रविष्टि अनिवार्य नहीं थी, परन्तु मई 2015 से इसे नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के साथ रियल टाईम आधार पर विधिमान्य कर दिया गया था। बहुत सारे अभिलेख प्रत्यावर्त्तित डाटा के थे। पुनः मूल्यवद्धित कर के अंतर्गत मात्र 1,910 प्रविष्टि ही अनुपलब्ध थे तथा विभाग इसके सुधार हेतु कार्य कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सभी विवरण अनिवार्य थे, अतः उपरोक्त वर्णित सभी अभिलेखों को अनिवार्य रूप से अभिग्रहित किया जाना आवश्यक होना चाहिए था।

2.4.13 चेकपोस्ट मॉड्यूल

विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना (सितम्बर 2010) के अनुसार वाणिज्य—कर विभाग को राज्य में प्रवेश करने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले मालों के परिवहन के अनुश्रवण हेतु कुल ४३ जाँच चौकी³⁹ (चेकपोस्ट) की स्थापना राज्य की सीमाओं पर करनी थी। हालाँकि, राज्य के भीतर प्रवेश करने, राज्य से बाहर जाने वाले अथवा बिहार राज्य से होकर पार करने वाले मालों के क्रय/विक्रय अथवा भंडार अंतरण से संबंधित विवरणों को अभिग्रहित करने हेतु पाँच चेकपोस्ट⁴⁰ पर जुलाई 2012 से कम्प्यूटरीकृत चेकपोस्ट प्रबंधन मॉड्यूल (सुविधा)⁴¹ प्रारंभ किया गया था।

चेकपोस्ट मॉड्यूल में पाई गई त्रुटियाँ अनुवर्ती कांडिकाओं में वर्णित हैं।

³⁸ बिहार मूल्यवद्धित कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन निबंधित एवं व्यवसायी द्वारा अधिनियम के अधीन देय कर के बदले एक नियत राशि का भुगतान।

³⁹ दालकोला (पूणियाँ), डोभी (गया), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमूर), रजौली (नवादा) एवं सोहनपट्टी (बक्सर)।

⁴⁰ दालकोला (पूणियाँ), डोभी (गया), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमूर) एवं रजौली (नवादा)।

⁴¹ सिम्पलीफाइड यूजेज ऑफ वेहीकल्स इनफॉरमेशन डाटा हार्मानाईज्ड एप्लीकेशन।

2.4.13.1 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 को मैप करने का प्रावधान नहीं किया जाना

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधान के साथ समुचित रूप से मैप नहीं किया गया था, जिसके कारण विभाग ट्रांजिट पासों के उपयोग करने वाले वाहनों के निर्गमन का अनुश्रवण नहीं कर सका।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई माल का खेप (कन्साइमेंट) सड़क मार्ग द्वारा बिहार राज्य के बाहर से राज्य के बाहर ही किसी अन्य स्थान के लिए परिवहित किया जाना है तथा उसे बिहार राज्य से होकर गुजरना है, तब वाहन का चालक या वाहन का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में प्रवेश के बाद मार्ग में पड़ने वाले राज्य के प्रथम चेकपोस्ट से एक ट्रांजिट परमिशन प्राप्त करेगा तथा उसे मार्ग में पड़ने वाले राज्य के अंतिम चेकपोस्ट पर राज्य की सीमा छोड़ने के पूर्व ही संबंधित प्राधिकारी को समर्पित करेगा और यदि वह मार्ग के प्रथम चेकपोस्ट को छोड़ने के बहतर घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तब यह माना जाएगा कि उक्त परिवहित माल को वाहन के मालिक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है। पुनः अर्थदण्ड का दर चूक के प्रत्येक दिवस के लिए पाँच सौ रुपये या मालों के मूल्य पर संगणित कर के दुगूने की राशि, जो भी अधिक हो, होगा।

वैटमीस प्रणाली में डी-VII प्राधिकार वाले वाहनों, जो राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं या सीमा से बाहर जाते हैं, के डाटा की प्रविष्टि की जाती है। कम्प्यूटर प्रणाली में ऐसे वाहनों के राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एक स्वतः एलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विभाग उन वाहनों के राज्य से बाहर जाने पर अनुश्रवण रख सके।

जुलाई 2012 से जनवरी 2015 की अवधि के चेकपोस्टों के डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया (जून 2015) कि कम्प्यूटर प्रणाली में मालों के राज्य की सीमा से बाहर जाने पर नियंत्रण के लिए कोई भी अन्तर्निहित प्रक्रिया नहीं थी। हालाँकि डाटा विश्लेषण में यह पाया गया कि कुल 40,89,500 में से कुल 5,43,341⁴² माल सहित वाहनों, जिन्हें जुलाई 2012 से जनवरी 2015 के बीच “आऊट टू आऊट सुविधा” का प्राधिकार प्राप्त था तथा वे अपने ट्रांजिट पासों को 72 घंटे के भीतर समर्पित नहीं किये थे, परन्तु कम्प्यूटर प्रणाली में दोष के कारण (अर्थात् बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के मैपिंग के अभाव में) वाणिज्य-कर विभाग कन्साइनमेंट के राज्य में ही रुके रहने का अनुश्रवण नहीं कर पाया। अतः कम्प्यूटर प्रणाली डाटा के अनुसार उन मालों पर राजस्व⁴³ के रिसाव की संभावना हो सकती है। पुनः हमने पाया कि कुल 5,43,341 चूककर्ता वाहनों में से 88,447 ऐसे वाहन थे, जो ‘आऊट-टू-आऊट सुविधा’ प्राप्त करने के बाद बार-बार (दो से 227 बार तक) राज्य में प्रवेश किए किन्तु उन्होंने अपने ट्रांजिट पास पूर्व में प्रत्येक अवसर पर जमा नहीं किया था। हमने यह भी पाया कि कुल 587 ‘आऊट-टू-आऊट सुविधा’ बिना उपयुक्त वाहन संख्या के ही जनित किए गए थे, परन्तु कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा इन्हें रोका/एलर्ट जारी नहीं किया गया था। पुनः 5,43,341 वाहनों में से 2,98,411 वाहनों, जिन पर ₹ 86,188.65 करोड़ के कन्साइनमेंट थे जिनमें ₹ 10,560.06 करोड़ की कर की राशि सन्निहित थी, को उन पाँच चेकपोस्ट से बाहर निकलना था, जहाँ कम्प्यूटराइज्ड चेकपोस्ट प्रबंधन प्रणाली कार्यरत थे।

⁴² ₹ 5,615.50 करोड़ की राशि के कन्साइनमेंट मूल्य के साथ कुल 14,532 गाड़ियों के बारे में पूर्व में ही वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) में प्रतिवेदित किया गया।

⁴³ 5,43,341 वाहनों के कन्साइनमेंट मूल्य = ₹ 1,19,383.98 करोड़ मूल्यवर्द्धित कर की राशि ₹ 13,950.15 करोड़।

उन निकास बिन्दुओं, जिसके लिए सुविधा जनित किये गये थे, पर चेकपोस्ट की स्थापना के द्वारा बिहार के रास्ते से होकर गुजरने वाले वाहनों हेतु त्रुटिरहित प्रक्रिया विकसित करने के लिए मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) में की गई अनुशंसा पर विभाग द्वारा अब तक विचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वाणिज्य—कर विभाग के अपर आयुक्त ने यह स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि पाँच लाख से अधिक वाहनों ने ट्रांजिट पास समर्पित नहीं किया था परन्तु उनके राज्य में ही रुके रहने से इंकार किया। पुनः उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवेश करने और राज्य से बाहर जाने के कई ऐसे रास्ते थे, जहाँ कोई कार्यशील चेकपोस्ट नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि शुरूआत में वाहन चालक बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रभावों को नहीं समझ सके, अतः उन्होंने ट्रांजिट पासों को जमा नहीं किया। विभाग ने पुनः बताया (सितम्बर 2015) कि उन्होंने चूककर्ता वाहनों की पहचान एवं उनपर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु इस प्रणाली में काफी बदलाव किए हैं तथा चूककर्ता सूची से उनके नाम हटाने की व्यवस्था भी विकसित कर ली गई है।

यह इस बात का सूचक है कि वाणिज्य—कर विभाग ने कार्यशील चेकपोस्ट पर जरूरी जाँच तथा साथ ही वैटमीस में लेनदेनों की प्रविष्टि के पूर्व सभी प्रवेश अथवा निकास बिन्दुओं पर ऑन—लाईन चेकपोस्ट की स्थापना सुनिश्चित नहीं की।

2.4.13.2 कम्प्यूटर प्रणाली के इनपुट कंट्रोल में त्रुटि

वैटमीस एप्लीकेशन में अनाधिकृत व्यक्ति/व्यवसायी द्वारा माल के आयात को रोकने संबंधी अन्तर्निर्मित नियंत्रण प्रणाली नहीं था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् राज्य के अंतर्गत मालों के आयात के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध अनिवार्य बनाए गए हैं, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में भी मैप किया जाना चाहिए।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 सह पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत वैसे व्यवसायी, जो बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित नहीं हैं, प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिबंधित हैं।

डाटा विश्लेषण के द्वारान हमने पाया कि 77 ईट भट्टे के कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने प्रवेश कर अधिनियम के तहत् निबंधन लिये बगैर 1,386 अद्द सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 13.28 करोड़ की राशि के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिसपर कुल ₹ 69.80 लाख के प्रवेश कर का प्रभाव था।

पुनः हमने यह भी पाया कि कुल 932 अनिबंधित नार्मल व्यवसायी (प्रवेश कर के अधीन) ने 4,381 सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 84.34 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया जिसपर ₹ 4.76 करोड़ के प्रवेश कर का प्रभाव था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (जून 2015) कि 932 में से 53 नार्मल व्यवसायी प्रवेश कर अधिनियम के तहत् निबंधित थे तथा 53 में से 27 व्यवसायियों ने ₹ 79.50 लाख के प्रवेश कर का भुगतान किया था। पुनः, विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्ति में फरवरी 2015 तक के ही प्रवेश कर भुगतान एवं ई—सुविधा के डाटा लिये गये हैं, जबकि फरवरी 2015 तक के सुविधा से संबंधित प्रवेश कर का भुगतान फरवरी 2015 के बाद किया जाना था। शेष मामलों में विभाग का स्पष्ट उत्तर प्रतिक्षित है।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15(1) एवं 15 (1ए) के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पाउंडिंग के रूप में वर्गीकृत व्यवसायी राज्य के बाहर से माल आयात करने के लिए योग्य नहीं है।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि डाटाबेस में कम्पाउंडिंग व्यवसायियों के रूप में वर्गीकृत 110 व्यवसायियों ने कुल ₹ 286.88 करोड़ के मालों का आयात किया। पुनः हमने यह भी पाया कि 14 कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 3,664 अद्द सुविधा का उपयोग कर कुल ₹ 111.42 करोड़ के अनुसूचित मालों का आयात किया था जिसपर उन्होंने ₹ 4.73 करोड़ के प्रवेश कर का कम भुगतान किया था तथा तीन कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 54 अद्द सुविधा का उपयोग कर ₹ 61.46 लाख की प्रवेश कर अधिनियम के तहत अनुसूचित वस्तुएँ मंगाई जिस पर ₹ 3.07 लाख के प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2015) कि उपरोक्त 110 में से 11 व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसूची- IV की वस्तुओं के व्यवसायी थे, परन्तु इन्हें डाटाबेस में भूलवश कम्पाउंडिंग व्यवसायी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। पुनः उन्होंने एकिजट कन्फ्रेन्स (सितम्बर 2015) के दौरान बताया कि कई और व्यवसायियों को इस श्रेणी में गलत वर्गीकरण किया गया है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी अनिबंधित व्यवसायी इस अधिनियम की धारा 3 या 4, जो भी मामला हो, के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुनः वैटमीस एप्लीकेशन के अनुसार किसी भी व्यक्ति (बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम अथवा प्रवेश कर अधिनियम के तहत व्यवसायी के अलावे) द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं का आयात करने के लिए सीटैन (एक अस्थायी युजर आई.डी.) जनित किया जाता है, जबकि व्यवसायी युजर आई.डी. के रूप में अपने टीन का उपयोग सुविधा जनित करने के लिए करते हैं।

डाटा विश्लेषण से प्रकटित हुआ कि 104 व्यवसायियों द्वारा कुल 275 अद्द सुविधा ₹ 7.34 करोड़ की वस्तुओं के आयात के लिए जनित किए गए जबकि वे बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम या प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यवसायी के रूप में निबंधित नहीं थे।

उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2015) कि इनमें से 214 सुविधा 83 ट्रांसपोर्टरों द्वारा डी-VII के स्थान पर डी-IX के लिए भूलवश जनित कर लिए गए थे तथा शेष मामलों के बारे में उन्होंने एक-एक कर जाँच करने का आश्वासन दिया।

पुनः हमने यह भी पाया कि सीटैन के आधार पर 165 व्यक्तियों ने 279 सुविधा जनित कर कुल ₹ 10.62 करोड़ की राशि के वस्तुओं का आयात किया जिसका उद्देश्य पुनर्बिंक्री करना अथवा बिंक्री/पुनर्बिंक्री के लिए पैकिंग करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि इनमें से अधिकतर आयातक व्यक्ति विशेष थे। यह आयात के प्रयोजनों की गलत प्रविष्टि के कारण हो सकता है। हालाँकि प्रत्येक मामलों की विस्तृत जाँच के बाद संबंधित अंचलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विभाग ने एकिजट कन्फ्रेन्स (सितम्बर 2015) में न केवल कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटियों से संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सराहा बल्कि यह भी कहा कि वर्ष 2015–16 से वैटमीस एप्लीकेशन में कई सुधारात्मक उपाय किये गये हैं।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली को अनाधिकृत व्यवसायियों अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा प्रतिबंधित उद्देश्यों हेतु मालों के आयात के लिए सुविधा जनित करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

2.4.13.3 कम्पाउंडिंग ईंट भड़े के व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का भुगतान कम/नहीं किया जाना

वैटमीस एप्लीकेशन को प्रवेश कर के कम अथवा भुगतान नहीं किए जाने के मामलों में एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत् यदि कोई अनुसूचित वस्तु राज्य के अंदर बिक्री, उपयोग या उपभोग के लिए आयात की जाती है तो उस पर नियत दर से प्रवेश कर देय होगा।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 126 ईंट भड़े के कम्पाउंडिंग व्यवसायियों ने 4,180 सुविधा जनित कर कुल ₹ 40.78 करोड़ की राशि की अनुसूचित वस्तुओं के आयात पर ₹ 58.72 लाख के प्रवेश कर का कम भुगतान किया जबकि 13 व्यवसायियों ने 188 सुविधा जनित कर कुल ₹ 1.98 करोड़ की राशि की अनुसूचित वस्तुओं के आयात पर ₹ 10.05 लाख के प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2015)।

2.4.14 रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल

एक निबंधित व्यवसायी मालों की सभी खरीद, बिक्री, प्राप्ति एवं प्रेषण से संबंधित अपने सभी लेन-देनों तथा कोई विहित रूप से विशिष्ट लेन-देनों का सम्पूर्ण एवं सही रिटर्न विहित तरीके से विहित प्राधिकारी को समर्पित करेगा।

वैटमीस के रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल की सहायता से कोई भी मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधित व्यवसायी किसी भी स्थान से किसी भी समय इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है और भुगतान कर सकता है। हालाँकि अक्टूबर 2012 से वैसे सभी निबंधित व्यवसायियों, जिनका किसी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में कुल सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो या उसका आऊटपूट कर दायित्व किसी तिमाही में एक लाख रुपये से अधिक हो, के लिए मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् सभी रिटर्न दाखिल करना एवं विभागीय वेवसाईट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाना अनिवार्य बना दिया गया।

कम्प्यूटर प्रणाली में स्वतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रत्येक विलम्ब से दाखिल रिटर्न या रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने, कम भुगतान या भुगतान नहीं किए जाने, स्वीकृत कर के कम भुगतान, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के तहत् अधिक छूट लिये जाने के मामलों में, संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी को एलर्ट जारी हो तथा दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध स्वतः मांग-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था हो, ताकि कर-निर्धारण प्राधिकारी मामलों का अनुश्रवण कर सकें।

वैटमीस के रिटर्न एवं पेमेन्ट मॉड्यूल में पायी गई त्रुटियाँ निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

2.4.14.1 रिटर्न दाखिल नहीं करने या विलम्ब से दाखिल करने संबंधी एलर्ट का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को रिटर्न विलम्ब से दाखिल या दाखिल नहीं किए जाने संबंधी एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 (3) के अनुसार प्रत्येक निबंधित व्यवसायी नियत तिथि तक या उसके पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष का एक सही पूर्ण रिटर्न, विहित प्रक्रिया के अंतर्गत, विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (8) के प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अपना वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) समय पर दाखिल करने में विफल रहता है, तब वे विलम्ब हेतु, दण्ड⁴⁴ के लिए उत्तरदायी होंगे।

वैसे व्यवसायी, जिनके वर्ष 2011–12 से 2013–14 की अवधि में एक भी तिमाही के रिटर्न कम्प्यूटर प्रणाली में उपलब्ध थे, के डाटा विश्लेषण में हमने पाया कि कुल 53,845 व्यवसायियों ने अपना आरटी-III दाखिल नहीं किया जबकि 30,718 व्यवसायियों ने विलम्ब से दाखिल किया। हालाँकि कम्प्यूटर प्रणाली में त्रुटि के कारण रिटर्न दाखिल नहीं किये जाने/विलम्ब से किये जाने हेतु दण्ड⁴⁵ का माँग-पत्र स्वतः जारी नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, वाणिज्य-कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि वैसे व्यवसायियों, जिन्होंने अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया, के विरुद्ध कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दण्ड आरोपित किए गए होंगे। चूंकि सृजित माँगों की प्रविष्टि कम्प्यूटर प्रणाली में नहीं किए गए थे, अतः ये परिलक्षित नहीं हुए।

उत्तर स्वतः ही कम्प्यूटर प्रणाली के त्रुटियों की स्वीकारोक्ति थी। हालाँकि सृजित माँग एवं इसके पूर्ण होने की वास्तविक स्थिति प्रतिक्षित थे।

कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा बिना दण्ड के भुगतान के नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल किए जाने को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा वैसे व्यवसायियों के संबंध में, जिन्होंने नियत तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, एक एलर्ट जारी की जानी चाहिए थी।

2.4.14.2 मूल्यवर्द्धित कर के कम भुगतान किए जाने संबंधी एलर्ट का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन ईट भट्टे के व्यवसायियों, जिन्होंने कम्पाउंडिंग योजना का विकल्प लिया था, द्वारा कर के कम भुगतान पर एलर्ट जारी करने हेतु मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 4 के प्रावधान के अंतर्गत वाणिज्य-कर विभाग ने अधिसूचना निर्गत (मई 2006) किया, जिसके तहत ईट भट्टे के व्यवसायी, जिन्होंने कम्पाउंडिंग कर देने का विकल्प दिया हो, को वर्ष 2011–12 तक प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹ 60,000 का भुगतान करना है तथा अधिसूचना (जुलाई 2012) के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए इसे बढ़ाकर ₹ 75,000 एवं बाद में वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 83,000 निर्धारित (ईट भट्टे की न्यूनतम श्रेणी के लिए कर्णाकित) किया गया।

डाटा विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान 4,102 में से 1,405 ईट भट्टे के मालिकों, जिन्होंने कम्पाउंडिंग कर का विकल्प दिया था, ने ₹ 4.54 करोड़ की कम्पाउंडिंग कर की राशि का कम भुगतान किया था (प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्यवर्द्धित कर के आधार पर संगणित)।

इसे इंगित किए जाने (मई 2015) के बाद विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2015) कि वास्तव में 1,234 ‘वाई.वी.’ व्यवसायियों⁴⁶ ने वास्तव में कुल

⁴⁴ पहले छ: माह के विलम्ब पर प्रतिमाह अथवा उसके अंश के लिए ₹ 750 तथा तत्पश्चात् प्रतिमाह या उसके अंश के लिए ₹ 1000।

⁴⁵ आर.टी. -III दाखिल नहीं करने के लिए ₹ 86.43 करोड़ (2011–13 की अवधि के लिए दिसम्बर 2014 तक की गणना के अनुसार) तथा विलम्ब से दाखिल करने के लिए ₹ 9.35 करोड़ (2011–14 की अवधि के लिए जनवरी 2015 तक की गणना के अनुसार)।

⁴⁶ ईट भट्टे के कम्पाउंडिंग व्यवसायी।

₹ 3.51 करोड़ का मूल्यवर्द्धित कर कम भुगतान किया था, जबकि 171 व्यवसायी कम्प्यूटर प्रणाली में वाई.वी. व्यवसायी के रूप में गलती से वर्गीकृत हो गये थे। पुनः विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि यदि कोई ईंट भट्टे का व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 4 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना में दिए गए शर्तों एवं बंधेजो को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें कम्पाउंडिंग व्यवसायी नहीं माना जाएगा। परन्तु तथ्य यथावत थे क्योंकि कम्प्यूटर प्रणाली उन्हें कम्पाउंडिंग व्यवसायी के रूप में ही प्रदर्शित कर रहा था।

2.4.14.3 स्वीकृत कर का नहीं अथवा कम भुगतान करने के संबंध में एलर्ट जारी करने का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को स्वीकृत कर के कम अथवा भुगतान नहीं करने के संबंध में एलर्ट जारी करने के लिए मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को प्रत्येक माह के देय करों का भुगतान अगले माह के 15 वीं तारीख तक करना है जिसमें विफल रहने पर उसे भुगतेय होने की वास्तविक तिथि से भुगतेय राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

- लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए व्यवसायियों के रिटर्न एवं पेमेन्ट से संबंधित डाटा के विश्लेषण से हमने पाया कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में कुल 22,588 व्यवसायियों ने मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत अपने स्वीकृत कर के दायित्व के विरुद्ध ₹ 694.31 करोड़ का कम भुगतान किया था, जिसे कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः संकेत नहीं दिया गया।
- यह भी देखा गया कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान 14,034 व्यवसायियों ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत अपने स्वीकृत कर ₹ 180.25 करोड़ का भुगतान ही नहीं किया था जिसे भी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः संकेत नहीं दिया गया। वैसे व्यवसायी मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के तहत ब्याज के भुगतान हेतु दायी थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वाणिज्य-कर विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि कुछ मामलों में व्यवसायियों द्वारा गलत प्रविष्टि के कारण ऐसा हुआ। पुनः विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई कर के कम भुगतान की गणना स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक मानकों यथा, रिटर्न अवधि के लिए कर का भुगतान, सी-II का दावा, पिछले वर्ष के असामंजित प्रवेश कर का सामंजन, आऊटपुट कर, इनपुट कर, धारा 24 के अंतर्गत छूट इत्यादि को लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था। स्वीकृत कर के भुगतान नहीं करने के संबंध में विभाग ने पुनः कहा कि प्रत्येक मामलों की अलग-अलग जाँच अंचल स्तर पर की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ई-फाईलिंग के मामले में डाटा प्रविष्टि की जिम्मेवारी संबंधित व्यवसायी की है तथा मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए, जो कम्प्यूटराइजेशन का एक उद्देश्य है, इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः एलर्ट जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी तथा पुनः यह उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा ने स्वीकृत कर के कम भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने की गणना में वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) के कर्णाकिंत स्तम्भों में दर्शाए गए भुगतेय कर की राशि में से मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर का वास्तविक भुगतान, प्रवेश कर के सामंजन का दावा तथा रिटर्न में स्रोत पर की गयी कर की कठौती स्तम्भ में दर्शायी गई राशि को पहले ही घटाकर किया गया था।

2.4.14.4 मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किये जाने संबंधी एलट जारी करने का अभाव

वैटमीस एप्लीकेशन को मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज के भुगतान नहीं किए जाने पर एलट जारी किए जाने के लिए मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(9) के प्रावधानों के तहत धारा 15(1) एवं 15(4) के अंतर्गत कर भुगतान को अनुमत्य व्यवसायियों को छोड़कर अन्य प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह के अपने देय कर का भुगतान अगले माह के 15 वीं तारीख तक या उससे पहले करेंगे। पुनः धारा 24(10) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई व्यवसायी, जिसे धारा 24 (1ए) एवं 24(4) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना है, ने धारा 24(9) के प्रावधान के अनुसार देय कर का भुगतान करने में विफल रहा है, तब उसे डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन में एक अन्तर्निर्मित नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए जिससे कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध देय ब्याज का स्वतः एलट जारी हो सके।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के अवधि के डाटा विश्लेषण में यह पाया गया कि मूल्यवर्द्धित कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 70,83 करोड़ के ब्याज का आरोपण 1,33,704 व्यवसायियों पर नहीं किया गया था। इसकी गणना व्यवसायियों द्वारा किए गए ब्याज के भुगतान, यदि कोई हो, को घटा कर किया गया था।

इस प्रकार कम्प्यूटर प्रणाली में अन्तर्निर्मित नियंत्रण की कमी के कारण कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा कोई एलट जारी नहीं किया जा सका। विभाग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

हम अनुशंसा करते हैं कि व्यवसायियों को बगैर आरोप्य ब्याज के कर के भुगतान करने से रोकने हेतु कदम उठाने चाहिए।

2.4.14.5 व्यवसायियों द्वारा अधिक छूट का लाभ लेने से संबंधित एलट का अभाव

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वैलिडेशन जाँच की कमी के कारण व्यवसायियों को अधिक छूट के दावे की अनुमति दी गई थी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(12) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसायियों को, धारा 24 के अंतर्गत दाखिल रिटर्न में, स्वीकृत कर की राशि का आधा प्रतिशत या एक वर्ष में अधिकतम ₹ 50,000 का छूट अनुमान्य है।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के वैटमीस के अंतर्गत व्यवसायियों के रिटर्न के विश्लेषण में हमने पाया कि 1,680 व्यवसायियों ने अधिक छूट का दावा किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने स्वीकार किया (जून 2015) कि अब तक उपलब्ध रिटर्न टेम्पलेट मैक्रो आधारित नहीं थे जिससे कोई व्यवसायी गलती से किसी कॉलम में असंगत डाटा की प्रविष्टि करने के लिए स्वतंत्र था। पुनः यह बताया गया कि वर्ष 2015–16 के प्रथम तिमाही से कम्प्यूटर प्रणाली में मैक्रो आधारित एक्सेल टेम्पलेट का प्रावधान किया गया है जिससे स्वतः गणना एवं तदनुसार सुधारों से इस तरह की गलतियों को दूर किया जा सकता है।

पुनः विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि आर.टी.-III अपलोड करते समय व्यवसायी/डाटा इन्ट्री आपरेटर ने भूल किया है तथा “धारा 24(12) के तहत रिबेट” कॉलम में गलत राशि अंकित कर दिया है।

2.4.14.6 त्रैमासिक रिटर्न के संशोधन के प्रावधान का मैपिंग नहीं किया जाना

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के साथ मैप नहीं किया गया था जिससे व्यवसायियों को अपने त्रैमासिक रिटर्न को अनियमित तरीके से संशोधन करने के लिए अनुमत्य किया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के प्रावधानों में संशोधन किया जिससे धारा 24(1ए) के तहत दाखिल त्रैमासिक रिटर्न को संशोधित करने की सुविधा व्यवसायियों से खतः समाप्त हो गई। तदनुरूप कम्प्यूटर प्रणाली को भी अधिनियम के तत्समय प्रावधानों के अनुसार मैप किया जाना चाहिए था।

डाटा के विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि धारा 24 की उपधारा 1ए के अंतर्गत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में दाखिल क्रमशः 63,127 एवं 72,618 त्रैमासिक रिटर्नों को संशोधित किया गया था जिसे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ–साथ विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यीकरण) अधिनियम, 2015 पारित किया जिससे त्रैमासिक रिटर्न को संशोधित करने के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1 अप्रैल 2012 से पुर्णस्थापित किया गया।

2.4.14.7 राज्य के बाहर बिक्री/भंडार अंतरण तथा राज्य के बाहर से खरीद/भंडार अंतरण का छिपाव

स्वीकृत बिक्री/खरीद के आँकड़े को चेकपोस्ट के वास्तविक बिक्री/खरीद के डाटा के साथ किसी मिस–मैच हेतु एलर्ट जारी करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली समर्थ नहीं था। पुनः व्यवसायी द्वारा पिछले वर्ष के स्वीकृत अंतरण के अनुसार आरंभ शेष की गलत प्रविष्टि को खतः रोकने में भी यह विफल रहा।

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अपने आवर्त या उससे संबंधित कोई सूचना का छिपाव करता है तब वह छिपाव के मूल्य पर देय कर के अलावे ब्याज के साथ अर्थदण्ड का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

- वर्ष 2012–13 (चेकपोस्ट के डाटा जुलाई 2012 से ही उपलब्ध थे) एवं 2013–14 के चेकपोस्ट के डाटा (अनुमोदित एवं कालातीत सुविधा हेतु) एवं व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के डाटा की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान क्रमशः 1,632 में से 515 एवं 3,138 में से 2,158 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 118.18 करोड़ तथा ₹ 1,249.31 करोड़ के राज्य के बाहर का बिक्री अथवा भंडार अन्तरण कम दर्शाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न (आर.टी.-III) में दर्शाए गए राज्य के बाहर की बिक्री में केन्द्रीय बिक्री कर को अलग रखा जाता है जबकि ई–सुविधा में केन्द्रीय बिक्री कर की राशि शामिल रहता है, जो शायद इस अंतर का कारण है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 2 (ओ) तथा धारा 2 (जेड.डी.) (VI) के प्रावधानों के तहत आर.टी.-III के अंतर्गत बिक्री मूल्य में से मात्र बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर को अलग रखा जाता है न कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर को। पुनः विभाग के उत्तर के आलोक में डाटा का पुनः विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदित ई–सुविधा (डी-IX) हेतु मात्र बिक्री/पुर्नबिक्री तथा

भंडार अंतरण को विचार में रखा गया तथा पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 179 एवं 524 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 19.64 करोड़ एवं ₹ 166.47 करोड़ का केन्द्रीय बिक्री कर के तहत बिक्री या राज्य के बाहर भंडार अंतरण की राशि का छिपाव किया था।

- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के लिए व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न एवं चेकपोस्ट के डाटा (अनुमोदित एवं कालातीत सुविधा हेतु) की तुलनात्मक जाँच से यह पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 3,005 एवं 5,666 व्यवसायियों ने अपने राज्य के बाहर के खरीद एवं भंडार प्राप्ति को क्रमशः ₹ 9,775.88 करोड़ एवं ₹ 6,068.46 करोड़ कम दर्शाया था। पुनः हमने यह भी पाया कि वर्ष 2012-13 में 2,320 एवं 2013-14 में 3,733 व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में दर-वार खरीद को नहीं दर्शाया था तथा मात्र सकल खरीद ही दर्शाये थे क्योंकि कम्प्यूटर एप्लीकेशन में संबंधित फील्ड्स को अनिवार्य नहीं बनाया गया था, अतः कर की गणना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः मात्र 685 एवं 1,933 व्यवसायियों के विरुद्ध की जा सकी जो क्रमशः ₹ 365.00 करोड़ एवं ₹ 1,466.13 करोड़ (सुविधा में दर्शाए गए दर के आधार पर) थे। उक्त छिपाव अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण भी आकर्षित करता है।

पुनः विभाग के उत्तर (जुलाई 2015) के आधार पर लेखापरीक्षा ने कैपिटल ग्रूप्स एवं परचेज रिटर्न को छोड़ते हुए केवल अनुमोदित ई-सुविधा (डी-IX) का पुनर्विश्लेषण किया एवं पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः 1,029 एवं 1,576 व्यवसायियों ने क्रमशः ₹ 587.16 करोड़ एवं ₹ 902.87 करोड़ के क्रय (अपने राज्य के बाहर के खरीद एवं भंडार प्राप्ति) का छिपाव किया था (चूंकि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में 17,849 एवं 21,870 ई-सुविधा उपयोग करने वाले व्यवसायियों में मात्र 13,746 एवं 14,851 व्यवसायियों के ही आर.टी.-III डाटाबेस में अपलोड थे)।

पुनः आर.टी. -III में दर-वार खरीद के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, जो कि एक कम्प्यूटर प्रणाली दोष है एवं जिसे विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा कर की गणना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः 117 एवं 272 व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 10.42 करोड़ एवं ₹ 29.01 करोड़ की गई थी। ₹ 118.29 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 6.61 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य है। उक्त राशि में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई उन 54 मामलों की राशि को हटा दिया गया था जिसमें डी-IX में बीजक मूल्य का गलत अंकन के कारण छिपाव किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली को रिटर्न में दर्शाए गए स्वीकृत बिक्री/खरीद की राशि एवं संबंधित सुविधा के आँकड़ों में पाए गए अंतर के संबंध में एलर्ट जारी करना चाहिए।

- यह पाया गया कि 11,426 व्यवसायियों ने वार्षिक रिटर्न में या तो अपने पिछले वर्ष के अंतशेष की अपेक्षा अगले वर्ष में कम आरंभ शेष स्वीकार किये थे अथवा 'शून्य' आरंभ शेष स्वीकार किये थे जबकि पिछले वर्ष के वार्षिक रिटर्न में अंतशेष दर्शाए गए थे। एप्लीकेशन ने गलत आरम्भ शेष की प्रविष्टि को न तो अस्वीकार किया और न ही इस संबंध कोई एलर्ट ही जारी किया। इसके फलस्वरूप व्यवसायियों के पास शेष पड़े ₹ 3,459.79 करोड़ के भंडार का छिपाव किया गया जिसपर कर का प्रभाव ₹ 219.76 करोड़ था (कर की गणना पिछले वर्ष के सकल आवर्त एवं स्वीकृत कर के समानुपात में की गई थी)। चूंकि ये खरीद के छिपाव के मामले थे, अतः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के तहत व्यवसायी अर्थदण्ड एवं ब्याज का भुगतान करने हेतु भी दायी थे।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि एक—एक मामलों की जाँच अंचल स्तर पर की जा रही है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार एक स्वतः प्रणाली व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकती है, ताकि पिछले वर्ष के अंतर्शेष से भिन्न वर्तमान वर्ष के वार्षिक रिटर्न में आरंभ शेष की प्रविष्टि नहीं हो।

2.4.14.8 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिटर्न की प्रविष्टियों में अंतर

वैलिडेशन नियंत्रण के अभाव में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिटर्न की प्रविष्टियों के अंतर के संबंध में कोई एलर्ट जारी नहीं किया जा सका।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(3) एवं धारा 54 के प्रावधानों के अंतर्गत योग्य व्यवसायियों को वार्षिक रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समर्पित करना होता है जिसमें उन्हें कुछ समान ऑकड़े जैसे, सकल आवर्त, करदेय आवर्त, खरीद, आऊटपुट कर दायित्व इत्यादि प्रदर्शित करने होते हैं। एप्लीकेशन में वैलिडेशन नियंत्रण होना चाहिए ताकि एक ही व्यवसायी द्वारा समर्पित दो विभिन्न अभिलेखों में एक समान ऑकड़े अलग—अलग नहीं होनी चाहिए और यदि इस तरह की भिन्न सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती है तब इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा स्वतः एलर्ट जारी होनी चाहिए।

व्यवसायियों द्वारा उनके वार्षिक रिटर्न में स्वीकार किए गए खरीद के आँकड़ों के साथ उनके संबंधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लेखापित आँकड़ों के विश्लेषण से हमने यह पाया कि कुल 9,625 व्यवसायियों ने इन दोनों अभिलेखों में खरीद के भिन्न—भिन्न ऑकड़े दर्शाएं थे।

पुनः, यह देखा गया कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के बीच 1,783 व्यवसायियों ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तुलना में वार्षिक रिटर्न में ₹ 11,182.34 करोड़ का कम आऊट—पुट कर दायित्व दर्शाया था।

कम्प्यूटर प्रणाली में आर.टी.-III एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उपरोक्त वर्णित एक समान आँकड़ों में मिलान हेतु कोई इनपुट वैलिडेशन नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी। खरीद संबंधी अंतर के संबंध में व्यवसायियों द्वारा स्थानीय खरीद पर अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने हेतु अपने खरीद को बढ़ाये जाने तथा बिक्री के छिपाव हेतु लेखे में कम खरीद प्रतिवेदित करने का खतरा था जबकि आऊटपुट टैक्स दायित्व के कम स्वीकृति के मामले में सरकारी राजस्व के प्रत्यक्ष हानि का जोखिम था।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग के ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रत्येक मामलों की अंचल स्तर पर जाँच की जा रही है।

2.4.14.9 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

कम्प्यूटर प्रणाली में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अमान्य करदाता पहचान संख्या की प्रविष्टि से संबंधित कोई वैलिडेशन नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा किया गया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के तहत किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है यदि उसने मालों (इनपुट) की खरीद बिहार राज्य के किसी निबंधित व्यवसायी से किया हो।

व्यवसायियों द्वारा लिये गये इनपुट टैक्स के अनियमित दावों पर संबंधित कर—निर्धारण प्राधिकारी को एलर्ट जारी करने हेतु कम्प्यूटर प्रणाली में एक अतर्निर्मित इनपुट कन्ट्रोल व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि कर—निर्धारण प्राधिकारी मामले का अनुश्रवण कर सकें।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के अवधि के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के डाटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि 7,415 अमान्य करदाता पहचान संख्या वाले व्यवसायियों ने इनपुट की खरीद पर ₹ 266.61 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था तथा 1,129 व्यवसायियों द्वारा बिना उनके करदाता पहचान संख्या अंकित किए इनपुट की खरीद पर ₹ 40.45 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था।

अतः उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा अनियमित था, जो कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाया जा सका एवं एप्लीकेशन प्रणाली इस संबंध में कोई एलर्ट जारी करने में विफल रहा।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कम्प्यूटर प्रणाली में कमियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कहा कि प्रत्येक मामले की जाँच आवश्यक है।

2.4.14.10 बंद पड़े व्यापार के अंतर्शेष पर कर का भुगतान नहीं किया जाना

बंद पड़े व्यापार के अंतर्शेष पर कर का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी एलर्ट जारी करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली को मैप नहीं किया गया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 (5) के प्रावधानों के तहत् एक निबंधित व्यवसायी को अपने व्यापार बंद किए जाने अथवा छोड़ने के तिथि के बारह माह के भीतर शेष बचे हुए भंडार पर कर का भुगतान करना होगा।

जब एक व्यवसायी अपना अंतर्शेष दर्शाया हो और अगले 12 लगातार माह में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया हो, तब एप्लीकेशन में एक स्वतः एलर्ट जारी करने हेतु व्यवस्था होनी चाहिये।

वर्ष 2009–10 से जनवरी 2015 की बीच की अवधि के डाटा विश्लेषण से हमने पाया कि कुल 1,008 व्यवसायियों ने संबंधित वर्षों के अपने वार्षिक रिटर्न में अंतर्शेष स्वीकार किया था, किन्तु बाद के वर्षों में न तो कोई रिटर्न दाखिल किया था और न ही कोई कर (मूल्यवर्द्धित कर या केन्द्रीय बिक्री कर) का भुगतान ही किया था। चूँकि कुछ व्यवसायियों ने अपना सकल आवर्त 'शून्य' दर्शाया था इसलिए मात्र 298 व्यवसायियों के मामलों में कुल ₹ 2.24 करोड़ के कर प्रभाव की गणना की गई थी जिसे संबंधित वर्ष हेतु उनके सकल आवर्त पर स्वीकृत कर के अनुपात में संगणित किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (जुलाई 2015) के बाद विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि प्रत्येक मामलों की अंचल स्तर पर जाँच की जा रही थी।

2.4.14.11 व्यवसायियों द्वारा स्रोत पर किए गए कर की कटौती के दावों का जाँच नहीं किया जाना

कर की कटौती करने वाले प्राधिकारी को वैटमीस एप्लीकेशन पर एक यूनिक पहचान आवंटित करने हेतु प्रावधान के अभाव में स्रोत पर किये गये कर की कटौती की राशि को जमा किये जाने की जाँच के लिए आर.टी.-VI में विवरणी तथा आर.टी.-VII में रिटर्न दाखिल करना अपर्याप्त था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 40 एवं 41 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक प्राधिकारी विक्रेता, आपूर्तिकर्ता अथवा कार्य संवेदकों, जैसा भी मामला हो, के विपत्रों से भुगतान के समय स्रोत पर कर की कटौती करेंगे तथा सरकारी खजाने में जमा करेंगे। पुनः कटौती करने वाला व्यक्ति आर.टी.-VI में विवरणी एवं आर.टी. -VII में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करेगा और साथ ही वह भुगतान प्राप्त करने वाले व्यवसायी को प्रपत्र सी-II में एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो रिटर्न में इसके द्वारा दावा किये गये स्रोत पर किये गये कर की कटौती के विरुद्ध प्रमाण है।

कम्प्यूटर प्रणाली में विवरणी (आर.टी.-VI) या रिटर्न (आर.टी.-VII) के साथ व्यवसायियों द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती के दावों की स्वतः जाँच/मिलान करने की सुविधा होनी चाहिए।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के अवधि के डाटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 16,052 व्यवसायियों ने कुल ₹ 1,794.77 करोड़ की राशि का स्रोत पर कर की कटौती के रूप में दावा किया था। विश्लेषण से यह पता चला कि मात्र 84 प्राधिकारियों का ही डाटा था जिन्होंने आर.टी.-VII दाखिल किया था और जिसमें कम्प्यूटर प्रणाली में विद्यमान 16,052 में से 98 व्यवसायियों के विरुद्ध स्रोत पर कर की कटौती दर्शायी गयी थी। यह संसूचित करता था कि आर.टी.-VII समुचित रूप से डाटाबेस में अपलोड नहीं किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप स्रोत पर करों की कटौती के दावों की जाँच डाटा से नहीं हो सकी। पुनः स्रोत पर करों की कटौती करने वाले प्राधिकारियों को वैटमीस एप्लीकेशन पर एक यूनिक पहचान आबंटित नहीं किये जाने के कारण आर.टी.-VII के दाखिल करने तथा वैटमीस डाटाबेस पर स्रोत पर कर की कटौती को जमा किये जाने की जाँच का अनुश्रवण किया जाना संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वाणिज्य-कर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) और कहा कि विभाग आर.टी.-VII को दाखिल कराने एवं इसे डाटाबेस में अपलोड कराने को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

2.4.14.12 कर योग्य आवर्त का स्वतः गणना नहीं किया जाना

कम्प्यूटर प्रणाली में सामान्य गणितीय गणना का भी स्वचलन (ऑटोमेशन) नहीं था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19(2) के प्रावधानों के तहत अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी को छोड़ अन्य सभी निबंधित व्यवसायी अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगे जिसमें उन्हें बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत सकल आवर्त तथा कटौतियों के दावों को भी दर्शाना है। रिटर्न में कुल कटौती सभी कटौतियों के दावों का योग होता है जबकि कर देय आवर्त की गणना सकल आवर्त में से कुल कटौतियों को घटाने के पश्चात् की जानी है।

एप्लीकेशन में ऐसी अंतर्निर्मित स्वतः गणना की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कुल कटौतियों एवं कर देय आवर्त की गणना स्वतः हो जाए।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के डाटा विश्लेषण से पाया कि कुल 56,946 रिटर्न में कुल कटौतियों को गलत दर्शाया गया था जबकि 58,365 रिटर्न में गलत कर देय आवर्त अर्थात् वास्तविक गणना से कम अथवा अधिक दर्शाए गए थे। यह स्पष्ट रूप से संसूचित करता है कि कम्प्यूटर प्रणाली में सामान्य गणितीय गणना को भी ऑटोमेटेड नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (मई 2015) के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (सितम्बर 2015) किया और आश्वासन दिया कि वर्ष 2015–16 से व्यवसायियों के त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न के लिए मैक्रो आधारित एक्सेल टेम्पलेट की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है जिससे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई इस तरह की गलतियाँ दूर हो जाएंगी।

2.4.15 निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा निम्न तथ्यों को प्रकटित करता है:

- वैटमीस के क्रियान्वयन के लिए टी.सी.एस. को क्रय आदेश निर्गत (नवम्बर 2006) करने के आठ वर्षों से अधिक विलम्ब के बाद बी.एस.इ.डी.सी. एवं टी.सी.एस. के बीच एकिजिट मैनेजमेंट एंव सोर्स कोड के प्रावधानों के साथ जुलाई 2015 में सर्विस लेवल एग्रीमेंट कार्यान्वित किये गये थे।
- पाँच लाख से अधिक वाहनों के द्वारा राज्य से गुजरने हेतु जुलाई 2012 एवं जनवरी 2015 के बीच निर्गत ट्रांजिट पास अभ्यर्पित नहीं किये गये थे। विभाग ट्रांजिट पास को अभ्यर्पित नहीं किये जाने तथ कन्साइनमेंट को राज्य के भीतर रखे जाने का अनुश्रवण नहीं कर सका। क्योंकि वैटमीस एप्लीकेशन का चेकपोस्ट मॉड्यूल विहित समय के भीतर ट्रांजिट पास को अभ्यर्पित नहीं किये जाने के मामलों में एक अलर्ट जारी करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के साथ समुचित रूप से मैप नहीं किया गया था।
- कम्प्यूटर प्रणाली के एप्लीकेशन नियंत्रण में कई तरह की कमियाँ थीं, जैसे इनपुट कंट्रोल एवं वैलीडेशन जाँच की अप्रर्याप्तता एवं बिना पूर्ण सूचना के करदाता पहचान पत्र एवं यूनिक इलेक्ट्रोनिक पहचान नम्बर (सुविधा) जनित किया जाना।
- वैटमीस एप्लीकेशन को रिटर्न के विलम्ब से दाखिल करने या दाखिल नहीं करने, मूल्यवर्द्धित कर की राशि का विलम्ब से/कम/भुगतान नहीं किये जाने तथा छूट के अधिक दावों इत्यादि से संबंधित अलर्ट जारी करने के लिए मैप नहीं किया गया था।

2.5 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक हैं:

- व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, विलासिता कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;
- बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा अर्थदण्ड; तथा
- कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 157.99 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिका 2.6 से 2.19 में वर्णित हैं, जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

2.6 बिक्री आवर्त का छिपाव

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 70.14 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने वाणिज्य-कर अंचल, बिहारशरीफ में 111 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा सितम्बर 2013 में पाया कि एक स्व-कर निर्धारित व्यवसायी (मे0 स्पाइसी विवरेज, टीन- 101893619089) ने वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 14.11 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री की, जैसाकि उनके द्वारा दाखिल किये गये त्रैमासिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने ₹ 14.11 करोड़ के विरुद्ध अपने वार्षिक रिटर्न में मात्र ₹ 13.78 करोड़ ही लेखापित किया था और इस तरह ₹ 32.97 लाख मूल्य के वस्तुओं की बिक्री का छिपाव किया। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के तहत रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके। इसके फलस्वरूप वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य ₹ 49.45 लाख का अर्थदण्ड, जैसाकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31 (2) के तहत प्रावधित है तथा 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ₹ 4.20 लाख के आरोप्य ब्याज, जैसाकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (4) में विहित है, सहित ₹ 70.14 लाख का अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कर-निर्धारण प्राधिकारी, बिहारशरीफ ने जनवरी 2015 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 70.14 लाख का माँग सृजित किया। हम इस मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.7 अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.56 करोड़ का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

हमने चार वाणिज्य-कर अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी) में 486 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा फरवरी एवं नवम्बर 2014 के बीच चार व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) के वार्षिक रिटर्न, टैक्स अडिट रिपोर्ट⁴⁷ इत्यादि से पाया कि उन्होंने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 35.97 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 14.70 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार व्यवसायी मात्र ₹ 14.10 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार थे। व्यवसायियों ने कंज्यूमेवल्स (उपभोज्य), अनुसूची-I वस्तुओं की बिक्री तथा वार्षिक रिटर्न में त्रैमासिक रिटर्न से अधिक इनपुट टैक्स के दावा पर ₹ 60.10 लाख का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार अधिक दावे हेतु ₹ 1.80 करोड़ का अर्थदण्ड तथा उसपर ₹ 15.73 लाख का ब्याज संगणित की गई। व्यवसायियों के रिटर्न

⁴⁷ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट- प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 2.56 करोड़ का था, जैसाकि परिशिष्ट-XVIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने फरवरी एवं जुलाई 2015 के बीच कहा कि चार अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना पश्चिमी एवं पटना उत्तरी) के चार व्यवसायियों से संबंधित ₹ 2.37 करोड़ की मांग सृजित की गई है। विभाग ने पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी अंचलों के दो मामले में ₹ 10.70 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित की। हम शेष मामलों में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.8 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला तथा इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 36.19 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने पाँच वाणिज्य-कर अंचलों (औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी, रक्सौल एवं सासाराम) में 640 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना-जाँच की तथा सितम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि पाँच व्यवसायियों (कर-निर्धारित: 1 तथा स्व-कर निर्धारित: 4) ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 4.45 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाँच से 13.5 प्रतिशत की सही दर के बदले चार से पाँच प्रतिशत की कम दर पर कर का निर्धारण किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4), जिसमें भुगतेय कर की राशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज आरोपित किये जाने का प्रावधान है, के अनुसार ₹ 8.62 लाख के ब्याज सहित ₹ 36.19 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XIX में वर्णित है। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने का सूचक है, जो उपबंधित करता है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी धारा 24 की उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि कर का दर सही-सही लगाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 के बीच तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी एवं सासाराम) के तीन व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 31.99 लाख का मांग सृजित किया। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई 2014 एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.9 ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती

ट्रांजिट बिक्री के मद में कटौती के दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 7.73 करोड़ के कर (ब्याज सहित) का कम आरोपण हुआ।

हमनें तीन वाणिज्य-कर अंचलों (बेगुसराय, भागलपुर एवं पटना विशेष) में 497 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2013 एवं जून 2014 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (कर-निर्धारित: 1; स्व-कर निर्धारित: 2) ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि के दौरान ट्रांजिट बिक्री के मद में ₹ 140.04 करोड़

की कटौती का लाभ लिया, परन्तु ट्रांजिट बिक्री के दावे प्रपत्र 'ई-I' तथा प्रपत्र 'सी' में दोनों घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे, जैसाकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) एवं केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के नियम 12(1) एवं 12(4) के तहत अपेक्षित है। इस प्रकार व्यवसायियों के ट्रांजिट बिक्री का सम्पूर्ण दावा अस्वीकृत किये जाने योग्य था, जिसका पता कर—निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला तथा इसके फलस्वरूप ₹ 35.40 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.73 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XX में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में भागलपुर के मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 1.43 करोड़ की माँग सूजित की, जबकि कर—निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने मई 2013 में व्यवसायी के ट्रांजिट बिक्री के दावे को अस्वीकृत कर दिया तथा इसे अन्तर्राज्यीय बिक्री मानते हुये इस पर दो प्रतिशत के दर पर कर आरोपित किया, क्योंकि व्यवसायी ने प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया था और ₹ 1.92 करोड़ हेतु माँग सूजित किया। वस्तुतः व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' उसी राज्य के व्यवसायी/अंचल द्वारा दिया गया/निर्गत था। चूंकि व्यवसायी ने अपेक्षित प्रपत्र—'ई-I' में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, अतः ट्रांजिट बिक्री के दावे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तथा राज्य के अन्दर बिक्री पर लागू दर पर कर आरोपित किया जाना चाहिए था। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई एवं अक्टूबर 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.10 स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा ब्याज आरोपित नहीं किया जाना

रिटर्न की संविक्षा नहीं किये जाने के कारण ब्याज सहित ₹ 90.05 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

हमने आठ वाणिज्य—कर अंचलों⁴⁸ के 844 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना—जाँच की तथा फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 की बीच पाया कि 15 व्यवसायियों (स्व—कर निर्धारित) ने वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान ₹ 5.44 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 4.74 करोड़ का ही भुगतान किया था। इस प्रकार ₹ 70.41 लाख के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ था, जिसका भुगतान बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के तहत प्रत्येक माह के आगामी महीने के पन्द्रहवें दिन अथवा उसके पहले करना था, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भुगतान करने हेतु दायी होगा। यद्यपि कर—निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संविक्षा करने तथा कर भुगतान के साक्ष्य को देखने एवं तदनुसार व्यवसायियों को नोटिस निर्गत करना अपेक्षित था, किन्तु जैसाकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत अपेक्षित था, ऐसी कोई संविक्षा नहीं की गई थी, जो विभाग में नियंत्रण की कमजोरी को इंगित करता है। इसके फलस्वरूप ₹ 19.64 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 90.05 लाख के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चला, जैसाकि परिशिष्ट-XXI में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच पाँच अंचलों (दानापुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी तथा समस्तीपुर) के 11 व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 69.77 लाख

⁴⁸ दानापुर, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी, रक्सौल एवं समस्तीपुर।

हेतु माँग का सृजन किया एवं तीन अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी तथा पटना पश्चिमी) के चार व्यवसायियों के मामले में ₹ 18.88 लाख की वसूली की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.11 कटौतियों की अनियमित अनुमति

अनियमित छूट/कार्य संवेदकों द्वारा अमान्य कटौतियों के दावे के फलस्वरूप ₹ 55.73 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने तीन वाणिज्य-कर अंचलों (जमुई, नवादा एवं सारण) में 308 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा सितम्बर 2013 एवं जनवरी 2015 के बीच चार कार्य संवेदकों (कर-निर्धारित:1; स्व-कर निर्धारित:3) के रिटर्न/लाभ एवं हानि लेखे से पाया कि उन्होंने वर्ष 2008–09 एवं 2011–12 की अवधि के दौरान ₹ 29.79 करोड़ की कटौतियाँ का लाभ लिया था, जिसमें से ₹ 7.92 करोड़ की कटौतियों का दावा स्थापना व्यय, ओवरहेड तथा सकल लाभ के सामग्री अंश पर था, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के अनुसार मान्य नहीं थे, जो यह उपबंधित करता है कि एक कार्य संवेदक मजदूरी तथा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्च, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ के मद में ही कटौती लिये जाने हेतु हकदार हैं। कर-निर्धारण प्राधिकारी, हालाँकि कर-निर्धारित मामले में भी अमान्य कटौतियों के दावे का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार, वे मात्र ₹ 21.87 करोड़ की कटौती के लिये ही हकदार थे, जिसकी संगणना ₹ 29.79 करोड़ की कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री तथा मजदूरी एवं सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 55.73 लाख के कर का कम आरोपण हुआ, जिसकी गणना ₹ 7.92 करोड़ की सामग्री अवयव पर की गयी थी, जैसाकि **परिशिष्ट -XXII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने नवम्बर 2014 एवं सितम्बर 2015 के बीच जमुई एवं सारण अंचलों के एक-एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 31.87 लाख के लिये माँग का सृजन किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.12 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 24.29 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमने दो वाणिज्य-कर अंचलों (पटना उत्तरी एवं पटना पश्चिमी) में 215 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर 2014 में पाया कि चार व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 45.15 लाख के प्रवेश कर का समायोजन अपने मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व से किया था। हालाँकि व्यवसायी मात्र ₹ 27.40 लाख के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि उनका मूल्यवर्द्धित कर दायित्व भुगतान किये गये प्रवेश कर की राशि से कम था, जैसा

कि बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) में प्रावधित है। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध ₹ 17.75 लाख के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 6.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 24.29 लाख के मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि परिशिष्ट-XXIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में सभी मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 24.29 लाख तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग का सृजन किया एवं पटना पश्चिमी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 2.14 लाख की वसूली भी की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.13 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

2.13.1 कटौती की अनियमित अनुमति

गलत घोषणा प्रपत्रों के आधार पर कर के छूट का लाभ लिये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.85 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी (मै0 बिरला टायर्स, टीन-10050125090) ने वर्ष 2011-12 के दौरान वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के मद में ₹ 6.03 करोड़ की कटौती का लाभ लिया, जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 5.12 करोड़ के लिये प्रपत्र 'एफ' में 30 घोषणा प्रपत्र, जो दावे को समर्थित कर सके, ही उनके अभिलेख पर पाये गये। पुनः यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत इन 30 घोषणा प्रपत्रों में से ₹ 98.33 लाख के सात प्रपत्र बिहार राज्य के ही थे, जबकि घोषणा प्रपत्रों पर अन्य विवरण झारखंड राज्य के व्यवसायी से संबंधित थे। इस प्रकार, इन प्रपत्रों के आधार पर छूट का लाभ लिया जाना, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 'ए' के प्रावधान के अनुसार अनियमित था एवं इसके फलस्वरूप ₹ 4.58 लाख के ब्याज सहित ₹ 17.85 लाख⁴⁹ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग के अगस्त 2015 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 17.85 लाख का माँग सृजित किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं। (अक्टूबर 2015)।

2.13.2 कटौती की असमर्थित दावा

राज्य से बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर, घोषणा प्रपत्र 'एफ' से समर्थन के बाहर, छूट का दावा किया गया, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 25.89 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी (मै0 फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, टीन/वैट- 10050225097; सी.एस.टी.- 10020225194) ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 22.11 करोड़ मूल्य के वस्तुओं को वास्तव में राज्य के बाहर हस्तातंरण किया था। परन्तु उनके अभिलेख पर कोई घोषणा प्रपत्र 'एफ' नहीं पाया गया, जो अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के लिये कटौती का दावा करने हेतु आवश्यक है। इस

⁴⁹ संगणना: अनियमित प्रपत्रों का मूल्य- ₹ 98.33 लाख, 13.5 प्रतिशत की दर पर कर- ₹ 13.27 लाख, 23 महीनों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज- ₹ 4.58 लाख (कुल- ₹ 17.85 लाख)।

प्रकार, व्यवसायी राज्य में लागू दर पर ₹ 88.45 लाख के कर का भुगतान करने हेतु दायी था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में कहा कि संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अगस्त 2014 में मामले की संवीक्षा की थी तथा सूचित किया कि ₹ 17.52 करोड़ के दावे के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत कर दिया गया है एवं असमर्थित दावे हेतु ₹ 7.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.89 लाख के लिये माँग पत्र सृजित कर दी गई है। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

ख : प्रवेश कर

2.14 स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

स्वीकृत कर का कम/नहीं भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

हमने पाटलीपुत्र वाणिज्य-कर अंचल में 113 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर 2014 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2012–13 के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 427.78 करोड़ के वस्तुओं के आयात के विरुद्ध ₹ 19.08 करोड़ के प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार किया था, परन्तु वास्तव में मात्र ₹ 16.98 करोड़ का प्रवेश कर का भुगतान किया, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर आगामी माह के पन्द्रहवें तिथि को या उसके पहले जमा करेगा। इसके फलस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि परिशिष्ट -XXIV में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच सभी मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 2.11 करोड़ हेतु माँग सृजित किया तथा एक मामले में ₹ 1.43 करोड़ की वसूली भी की। हम स्वीकृत मामलों में वसूली के प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.15 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

कर के दरों के लगाये जाने का सत्यापन हेतु प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप ₹ 16.40 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने तीन वाणिज्य-कर अंचलों (पटना पश्चिमी, पाटलीपुत्र, एवं तेघड़ा) में 358 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा सितम्बर और दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि पाँच व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 14.01 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया तथा अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुये अपना कर-निर्धारित किया। कर का दर लगाये जाने का सत्यापन हेतु प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया जा सका। यह प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की भी अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, उस दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जायेगा। इसके फलस्वरूप ₹ 16.40 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट- XXV में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में पाटलीपुत्र एवं तेघड़ा अंचलों के दो मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.43 लाख का माँग सृजित किया एवं तेघड़ा

अंचल के एक मामले में ₹ 1.42 लाख की वसूली भी की गई। हम स्वीकृत मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.16 निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

प्रवेश कर अधिनियम के तहत् निबंधन नहीं लिये हुये व्यवसायियों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के आयात का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 42.20 लाख का कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

हमने चार वाणिज्य-कर अंचलों (बेतिया, पटना उत्तरी, रक्सौल एवं सारण) में 530 व्यवसायियों के अभिलेखों/रिटर्न की नमूना जाँच की तथा नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणियों इत्यादि की जाँच से पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधित छ: व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान ₹ 6.31 करोड़ मूल्य के विभिन्न अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम के तहत् अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि वे प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसा करने हेतु दायी थे, इसमें विफल रहने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक चूक दिवस के लिये एक सौ रुपये अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य, इनमें जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करने का निर्देश व्यवसायी को देंगे। कर-निर्धारण प्राधिकारी निबंधन नहीं लिये जाने के तथ्यों का पता नहीं लगा सके, जबकि कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास निबंधन हेतु उनके दायित्व से संबंधित सूचना उनके मूल्यवर्द्धित कर अभिलेखों पर उपलब्ध था, जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में कर-निर्धारण प्राधिकारियों की उदासीनता की ओर इंगित करता है। इसके फलस्वरूप ₹ 9.19 लाख के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावे, ₹ 33.01 लाख का अर्थदण्ड भी आरोप्य था जैसा कि परिशिष्ट-XXVI में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त एवं सितम्बर 2015 के बीच तीन अंचलों (बेतिया, पटना उत्तरी, एवं सारण) के तीन व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 16.87 लाख का माँग सृजित किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को मार्च एवं मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

ग: विद्युत शुल्क

2.17 उर्जा की बिक्री के छिपाव पर विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना

दो कर-निर्धारिती के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उर्जा की बिक्री के छिपाव का पता लगा तथा तदन्तर ₹ 121.75 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल में एक कर-निर्धारिती (मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहलगाँव, निबंधन संख्या ईडी-6) द्वारा दाखिल

रिटर्न/विवरणियों की जाँच से हमने मार्च 2014 में पाया कि उसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 2012–13 के दौरान की गई उर्जा की बिक्री को प्रकट नहीं किया था। लेकिन लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने अपने वार्षिक लेखाओं में इसी अवधि के दौरान नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहलगाँव से 2,858.59 मिलियन किलोवाट उर्जा की खरीद दर्शायी थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर-निर्धारिती ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी को बिक्री की गई 2,858.59 मिलियन किलोवाट उर्जा का छिपाव किया था, जिसपर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3, 4 एवं 6 के प्रावधानों के तहत शुल्क आरोप्य था। इस प्रकार कर-निर्धारिती ₹ 60.87 करोड़ के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 121.75 करोड़⁵⁰ के शुल्क की राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2015 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 121.75 करोड़ का माँग सृजित किया। मामले में वसूली हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2015)।

2.18 विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना

अभिलेखों के तिर्यक जाँच से बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं लिये हुये एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री का पता चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.15 करोड़ के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

मुजफ्फरपुर पश्चिमी वाणिज्य-कर अंचल में हमने अप्रैल 2014 में पाया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने वार्षिक लेखे में एक व्यवसायी में 0 कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक इकाई) से वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान 1,055.58 मिलियन किलोवाट उर्जा का क्रय दर्शाया था। परन्तु में 0 कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड ने न तो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निबंधन लिया था और न ही इस अवधि में रिटर्न दाखिल अथवा शुल्क का भुगतान किया था, जबकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 ए (5) के तहत ऐसा करना अपेक्षित था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यवसायी ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उर्जा की बिक्री की थी, जिसपर विद्युत शुल्क आरोप्य था और व्यवसायी ₹ 18.15 करोड़ के शुल्क की राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी है, जैसा कि परिशिष्ट- XXVII में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

⁵⁰ संगणना:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०/ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा दर्शायी गयी क्रय उर्जा का मूल्य— ₹ 1,01,457.44 लाख, छ: प्रतिशत की दर पर विद्युत शुल्क— ₹ 6,087.44 लाख, आरोप्य अर्थदण्ड— ₹ 6,087.44 लाख, कुल— ₹ 12,174.88 लाख।

घ : मनोरंजन कर

2.19 मनोरंजन कर का कम आरोपण

प्रवेश दर में अनियमित बदलाव का पता नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के मनोरंजन कर का कम आरोपण हुआ।

पटना उत्तरी वाणिज्य-कर अंचल में नवम्बर 2014 में हमने पाया कि एक सिनेमा हॉल के प्रोपराईटर वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3–बी के तहत् एकमुश्त कर का भुगतान कर रहा था, लेकिन न तो उसके द्वारा एकमुश्त कर देने हेतु कोई आवेदन दिया गया था और न ही विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 'ग' में मनोरंजन कर का भुगतान एकमुश्त दर से किये जाने हेतु अनुमति दी गई थी। पुनः हमने पाया कि प्रोपराईटर द्वारा उस वर्ष के दौरान प्रवेश दर में बदलाव कर दिया गया था, जिससे उस वर्ष भुगतेय एकमुश्त कर की राशि भी बदल गई थी। इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–बी के प्रावधानों का उल्लंघन किया। प्रवेश दर में परिवर्तन हेतु आयुक्त द्वारा लिया गया कोई पूर्वानुमति भी अभिलेख पर नहीं पाया गया। अतः धारा 3–बी के प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंघन करने हेतु प्रोपराईटर का कर-निर्धारण, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत्, कुल संग्रहण क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए थी और इस तरह वे ₹ 1.90 करोड़⁵¹ के मनोरंजन कर का भुगतान हेतु दायी थे।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

2.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा दी गई (जुलाई 2015) सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान उसने वाणिज्य-कर विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य-कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं, जो वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग ने 2014–15 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

⁵¹ संगणना:

कम्पाउंडिंग (एकमुश्त) के तहत् कर भुगतान— 20 शो प्रति सप्ताह @ 24% = ₹ 99,10,036
धारा 3(1) के तहत् कर भुगतेय— 28 शो प्रति सप्ताह @ 50%

= ₹ 99,10,036 x 28 x 50 = ₹ 2,89,04,272

24x20

कम भुगतान = ₹ 2,89,04,272 – ₹ 99,10,036 = ₹ 1,89,94,236